बुधवार,
१९ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १९ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नाप और तोल

*६२८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री देश में नाप और तोल तथा सिक्कों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में २९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२७९ और अनुपूरक विवरण संख्या २ को, जिस में कि सदन के प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही दी हुई है, निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अन्तर-मंत्रिमण्डलीय समिति ने, जो कि भारतीय प्रमाप संस्था की नाप और तोलों के सम्बन्ध में बनाई गई विशेष समिति द्वारा भारत सरकार के विचारार्थ की गई मुख्य मुख्य सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत योजना बनाने के लिये बनाई गई थी, यदि कोई निश्चय किया है, तो वह क्या है ;

(ख) क्या अन्तर-मंत्रिमण्डलीय समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस विषय पर आगे और विचार कर सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रमाप संस्था की सिफारिशों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) समिति ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न नहीं उठते।

श्री एम० एल० द्विवेदी : नाप और तोल समिति की सिफारिशों के अनुसार इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री करमरकर : पहिले की समिति ने हमें कोई वित्तीय अनुमान नहीं बतलाया था और वर्त्तमान समिति इस सारे विषय पर विचार कर रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कठिनाई क्या है और वे सिफारिशें क्या हैं ?

श्री करमरकर : हम पहिले की सिफारिशों पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं । पुनर्विचार में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वर्त्तमान सिफारिशें क्या हैं ?

श्री करमरकर : समिति की बैठक हो रही है और यह अपनी सिफारिशें बाद में करेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : समिति किस विषय पर विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य के प्रश्न का जो विषय है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाँ तक हमारे बाटों और मुद्रा नीति का सम्बन्ध है, वहां यह प्रश्न कितने वर्षों से गवर्नमेन्ट के सामने हैं और इन के निर्णय हो जाने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री करमरकर : हमारे सामने यह प्रश्न करीब तीन वर्ष से है और वह जल्दी समाप्त हो जायेगा, ऐसी हमारी आशा है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि अभी चाहे तीन वर्ष से गवर्नमेन्ट के सामने यह चीज है, लेकिन क्या वह जानते हैं कि यथार्थ में इस प्रश्न पर भारतवर्ष में कोई पिछले तीस वर्षों से विचार हो रहा है ?

श्री करमरकर : शायद।

विस्तार सेवा योजना

*६२९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र तथा राज्यों में विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब तक मिला दिये जाने की सम्भावना है ?

(ख) उन स्थानों के अतिरिक्त जहां कि सामुदायिक परियोजनाओं का कार्यक्रम पहिले ही जारी है विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत और कौन-से स्थान चुने गये हैं या किन स्थानों के चुने जाने की सम्भावना है ?

(ग) क्या सरकार का इस व्यापक योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग)। "एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संगठन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार" नामक छपी हुई पुस्तिका की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कम्युनिटी प्राजेक्ट्स जहां जहां पर काम कर रहे थे उन के ऊपर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के जोड़ देने से क्या तरक्कियां हुई हैं ?

श्री हाथी : राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्र वर्तमान सामुदायिक परियोजना केन्द्रों में ही नहीं खोले जायेंगे ; वे वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि इस बात को देखने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है कि ७५ प्रतिशत अनावर्त्तक तथा ५० प्रतिशत आवर्त्तक व्यय का, जिसे कि केन्द्र वहन करता है, राज्यों के अंशदान के भाग के साथ प्रयोग किया जाय और कोई राज्य ऐसा न कर सके कि केवल केन्द्र का धन व्यय करके अपनी ओर से कुछ भी अंशदान न दे ?

श्री हाथी : सामुदायिक परियोजना संघटन और इसके पदाधिकारियों को इस विषय में सूचनायें मिलती रहती हैं कि धन कैसे व्यय किया जा रहा है।

श्री बंसल : माननीय मंत्री ने जिस पुस्तिका का उल्लेख किया है वह कब प्रकाशित की गई थी ?

श्री हाथी : मई १९५३ में किसी समय।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्यों को बांट दी गई थी।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय समिति द्वारा सिफारिश किये गये विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियायें भेज दी हैं ?

श्री हाथी : श्रीमान् जी, उन्होंने भेज दी हैं ।

श्री हेडा: क्या सरकार हमें विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये अंशदानों के सम्बन्ध में कुछ बतला सकती है ?

श्री हाथी : पुस्तिका में, केन्द्र का अंश तथा वह अंश जिसे कि राज्य सरकारें देंगी दिया हुआ है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा में नौकरी की कौन-कौन सी श्रेणियां हैं ; इस में कितने व्यक्तियों को काम मिल सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पुस्तिका को पढ़ क्यों नहीं लेते ?

श्री वैलायुधन : श्रीमान् जी उस में यह नहीं दिया हुआ है ?

श्री हाथी : पुस्तिका के अनुबन्ध ४ में इस बात का उल्लेख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस पुस्तिका की कोई प्रति पुस्तकालय में नहीं है ? मुझे स्मरण है कि मुझे भी इस की एक प्रति मिली थी । इस विषय में प्रथा यह है । कभी कभी जब उन्हें बांटा नहीं जाता तो विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता है कि उन की प्रतियां सूचना कार्यालय में मिल सकती हैं और जिस किसी माननीय सदस्य को उस में रुचि होती है वह उस की प्रति को ले सकता है ? मैं सरकार द्वारा प्रकाशित किसी पुस्तिका की बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार को यह विदित है कि कुछ राज्यों ने अपनी ओर से कुछ भी व्यय नहीं किया है और केन्द्र द्वारा दिये गये धन का ही प्रयोग किया है ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान्, सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

सेवा विस्तार योजना

*६३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकतर मजदूरों को सामूहिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय सेवा-विस्तार योजनाओं को उत्तम ढंग से कार्यान्वित करने की योजना प्राप्त करने तथा ढंग जानने की दृष्टि से कोई प्रशिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे ?

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रशिक्षा सुविधायें क्या हैं और उनका विस्तार कैसे किया जायेगा ?

(ग) क्या इन योजनाओं तथा उनके परिणामों से व्यक्तियों को लाभ के संबंध में जानकारी तथा सूचना को देश भर में फैलाने के लिए कोई विभाग स्थापित किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां ।

(ख) संबंधित मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल बहुमुखी योजनाओं के कितने ग्राम-कर्मचारियों को प्रशिक्षा दी जा रही है ?

श्री हाथी : आजकल लगभग ६०० कर्मचारियों को प्रशिक्षा दी जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस योजना की कितनी शाखायें खोली गई हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री हाथी : सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है—राष्ट्रीय सेवा-विस्तार की इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यक्तियों की प्रशिक्षा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस योजना में कितना व्यय होगा ?

श्री हाथी : पुस्तिका के अनुबन्ध दो में वित्तीय मामलों का भी वर्णन है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या इस प्रशिक्षा केन्द्र को प्रावैधिक सहकारिता प्रशासन से मार्गप्रदर्शन अथवा सहायता प्राप्त होती है ?

श्री हाथी : नये खुलने वाले केन्द्र वास्तव में वर्तमान कृषि संस्थाओं के विस्तार होंगे और कुछ नये भी हो सकते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह नहीं है । प्रावैधिक सहकारिता प्रशासन से मेरा अभिप्राय अमरीकनों की सहायता से है ।

श्री हाथी : उन वर्तमान संस्थाओं के लिए नहीं जिनका विस्तार होने वाला है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या इन संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप में व्यक्तियों की भरती होगी अथवा केवल वे व्यक्ति लिये जायेंगे जो स्थापित होने वाले प्रस्तावित केन्द्रों में प्रशिक्षा प्राप्त किए हुए होंगे ?

श्री हाथी : पहिले भरती होगी फिर उन्हें प्रशिक्षा के लिए भेजा जायेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : ऐसे इंस्टीटयूशन्स अभी कितने हैं और किसके अधीन हैं, केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं या प्रान्तीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं ?

श्री हाथी : सम्पूर्ण योजना यह है । ३५ संस्थायें कृषि में प्रशिक्षा दे रही हैं । इनमें से कुछ संस्थाओं का विस्तार करना पड़ेगा । कुछ मूल विभागों को विशेष प्रशिक्षा से सम्बद्ध करना होगा । यह सब राज्यानुसार है—जिन राज्यों में ये संस्थायें हैं ।

चन्द्रनगर

*६३१. **श्री पुन्नूस :** (क) **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चन्द्रनगर की परामर्शदात्री परिषद् ने चन्द्रनगर को भाग 'ग' राज्य बनाने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो यह प्रार्थना कब की गई थी ?

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). हां, अप्रैल १९५३ के अन्त में ।

(ग) चन्द्रनगर के भविष्य के संबंध में वहां के व्यक्तियों की इच्छाओं को निश्चित रूप में जानने के सर्वोत्तम ढंग पर सरकार वहां के नेताओं के परामर्श के साथ विचार कर रही है ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने, जब कि यह परामर्श प्रगति कर रहा है, पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम चन्द्रनगर में लागू कर दिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्, पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम, जैसा कि अनुकूलन किया गया है, चन्द्रनगर में लागू कर दिया गया है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य है कि यह अधिनियम आंशिक रूप में लागू किया

गया है जिसके परिणामस्वरूप चन्द्रनगर की सारी पार्टियों में बड़ा रोष उत्पन्न हो गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी पार्टियों में; व्यक्तियों के एक वर्ग ने कुछ विरोध किया था।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, माननीय मंत्री के उत्तर से उत्पन्न होने पर, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या व्यक्तियों की इच्छाओं को जनमत द्वारा जाना जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा: व्यक्तियो की इच्छाओं को जानने का अभी कोई ढंग निश्चित नहीं हुआ है।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा स्थापित परामर्शदात्री समिति ने भी पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम को आंशिक रूप में लागू करने के विरुद्ध मत प्रकट किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : परामर्शदात्रि परिषद् के सदस्यों ने हमें एक बड़ा लम्बा ज्ञापन भेजा है और यह प्रतीत होता है कि वे भी पश्चिमी बंगाल नगरपालिका अधिनियम को आंशिक रूप में चन्द्रनगर में लागू करने के विरुद्ध हैं।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुछ मास पूर्व उपमंत्री जब चन्द्रनगर गये थे, केवल पराजित पार्टी के नेताओं से, उनकी इच्छाओं को जानने के लिए, मिले थे, और निर्वाचित पार्टियों के नेताओं से नहीं मिले ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इस से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य है कि चन्द्रनगर वासी पश्चिमी बंगाल कृषि-इतर पट्टेदारी अधिनियम तथा कुछ भारतीय मजदूर विधियों को अपने ऊपर लागू कराना चाहते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्। इन मामलों पर हम विचार कर रहे हैं।

मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन

*६३२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ईरान के प्रधान मन्त्री डा० मुसद्दिक ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि ईरान मध्यपूर्व रक्षा संगठन जैसे किसी संगठन में शामिल होने के पहले भारत के साथ विचार विमर्श करेगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): ऐसा प्रकाशित हुआ है कि "टाइम्स आफ़ इण्डिया" के संवाददाता को, ईरान के प्रधान मंत्री, डा० मुसद्दिक ने बतलाया था कि जब मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन में ईरान के सम्मिलित होने का प्रश्न उठेगा, ईरान भारत जैसे पड़ौसी देशों से परामर्श करेगा।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार का इस समस्या के संबंध में किसी अन्य मध्यपूर्वी देश से सम्पर्क है, यदि हां, तो इस मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन की स्थापना करने पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: नहीं, श्रीमान्। हमने किसी भी देश से परामर्श नहीं किया है।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार का ध्यान मिस्र के राष्ट्रीय मार्गप्रदर्शन मन्त्री के भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्हों ने कहा है कि पाकिस्तान इस समस्या पर मध्यपूर्वीय देशों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है, और यदि, ऐसा हैं, तो क्या मिस्र सरकार ने भारत सरकार से उस समस्या पर अपने विचार प्रकट करने के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मुझे शंका है कि यह बड़ा ही उलझा हुआ प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन में सम्मिलित होने की संभाव्यता के संबंध में मिस्र सरकार ने भारत सरकार से कोई परामर्श किया है इससे मैं यही समझता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कोई प्रस्ताव रख रहा है । प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, माननीय मन्त्री ने बताया था कि ईरान के प्रधान मंत्री ने प्रेस संवाददाता से कहा कि उस प्रतिरक्षा संगठन में सम्मिलित होने के पूर्व ईरान कदाचित भारत सरकार से परामर्श करे । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अन्य देशों से भी बातचीत की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहिले ही दे चुके हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : उन्हों ने कहा कि सरकार सम्पर्क में नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिस्र ने भारत सरकार से कोई परामर्श किया है ? क्यों कि मिस्र के एक मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान मध्यपूर्वीय देशों के साथ एक सामूहिक समझौता पर वार्ता करने के लिए तैयार है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि भारत से परामर्श किया गया है या नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, माननीय सदस्य बहुत सी बातें जानना चाहते हैं । यह सब उलझा हुआ प्रश्न है । इस प्रकार व्यक्ति वैदेशिक कार्यों को कदाचित ही निपटा सकता है ।

ऐसे मामलों के संबंध में भारत की स्थिति इन सब देशों को स्पष्टतः विदित है । हम कोई परामर्श नहीं करते । कैरो में जब मुझ से एक प्रेस-सम्मेलन में यह पूछा गया तो मैं ने कहा "भारत की स्थिति यह है ।" इस प्रकार बात समाप्त हो गई ।

माल के क्रय के लिये प्रादेशिक समितियां

*६३३. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विदेशों में माल क्रय करने के लिए दो प्रादेशिक समितियां स्थापित की गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने भारत सरकार को अपने प्रतिवेदन भेज दिये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् । प्रादेशिक माल-क्रय समितियां नवम्बर १९५२ में स्थापित की गई थीं, हमारे दो क्रय संगठनों में से प्रत्येक लंदन में भारत माल विभाग तथा वाशिंगटन में भारत सम्भरण मिशन ; इन संगठनों में से प्रत्येक के कार्य का अवलोकन करने के लिए एक एक समिति स्थापित की गई है । दोनों समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सत्य है कि ये रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

श्री बूरागोहिन : अधिकांश सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और दूसरी स्टोर्ज क्रय समिति के पास, जो भारत में केन्द्रीय क्रय व्यवस्था की संस्थाओं के

काम का पुनर्विलोकन करने के लिए स्थापित की गई है, भेज दी गई हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि विदेशों में क्रय के मामले में हमारी पदाधिकारियों की ओर से बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ?

श्री बुरागोहिन : ये प्रादेशिक समितियां प्रत्येक सौदे की जांच के लिए नहीं थीं; वे इस लिए थीं कि वर्तमान प्रक्रिया की जांच कर के उस प्रक्रिया के सुधार के तरीके बतलाये ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को भारतीय व्यापारियों से इस अभिप्राय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्रय की वर्तमान नीति में संशोधन किया जाये और क्रय विदेशी निर्माताओं के भारतीय अभिकर्त्ताओं से भारत में और भारतीय मुद्रा में किया जाय क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी विदेशी मुद्रा बच जायेगी और विदेशों में क्रय कार्यालय रखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई करने का सुझाव है ।

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, मैं यह उत्तर देना चाहूंगा कि स्टोर्ज़ क्रय समिति ने देश की लगभग ५० व्यापार संस्थाओं को एक प्रश्नावली जारी की थी । उन के उत्तरों की स्टोर्ज़ क्रय समिति द्वारा जांच की जा रही है । सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर इन प्रश्नों पर तथा अन्य प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन प्रादेशिक समितियों के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री बुरागोहिन : लन्दन समिति के अध्यक्ष श्री सी० सी० देसाई थे । अन्य सदस्य ये थे : श्री पी० सी० भट्टाचार्य, रेलवे के वित्तीय आयुक्त, श्री धर्मवीर, भारत के उच्च आयोग के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सलाहकार ; श्री पी० वी० आरे० राव, भारत के उच्च आयुक्त के विशेष सलाहकार, श्री के० वी० राव, भारतीय स्टोर्ज़ विभाग के महासंचालक और ब्रिगेडियर प्रताप नारायण लन्दन में भारत के उच्च आयोग के रक्षा सैल । वाशिंगटन-समिति के अध्यक्ष भी श्री सी० सी० देसाई थे और उन के सहायक श्री पी० सी० भट्टाचार्य थे.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप को सब नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं ।

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, ये सब पदाधिकारी हैं और वाशिंगटन में अन्य सदस्य अमेरिका में काम करने वाले हमारे पदाधिकारी हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पदाधिकारियों और संभरण-कर्त्ताओं के बीच षड़यन्त्र होने के कारण इस सरकार को क्रय के मामले में बहुत हानि हुई है...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । "हमारे पदाधिकारियों का षड़यन्त्र" आदि इस प्रकार की सामान्य आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह नहीं कहता कि सब पदाधिकारी ऐसे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा । आखिर सरकार नें पदाधिकारियो के द्वारा ही काम करना है । इस प्रकार के सामान्य आरोप नहीं लगाने चाहिए । पहला प्रश्न भी गलत था ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन समितियों ने विदेशों में, विशेषकर लन्दन और अमेरिका में क्रय की प्रक्रिया को कड़ा करने की सिफ़ारिश की है और क्या सरकार ने इन सिफ़ारिशों के फलस्वरूप प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है या इन में कोई संशोधन किये हैं ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, श्रीमान्, यह सत्य है कि दोनों समितियों ने यह सिफ़ारिश की है कि विदेशों में आर्डर देने से पूर्व इन आर्डरों की जांच करने की जो व्यवस्था है, उसे कड़ा कर दिया जाये । सरकार ने यह सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है और इसे क्रियान्वित करने के लिए पग उठा रही है ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित परिवार

*६३४. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक पश्चिम तथा पूर्व पाकिस्तान के कितने नागरिक तथा ग्रामीण विस्थापित परिवार बस चुके हैं ; तथा

(ख) उन्हें पुनर्वास की क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ७३,७९७ परिवार ।

(ख) विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सुविधाएं दी गई हैं जैसा कि भूमि का अनुदान, ग्रामीण तथा नागरिक ऋण, मकानों तथा दुकानों का आवंटन, शिक्षा और टेकनिकल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं, आदि ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : उत्तर प्रदेश में इन व्यक्तियों के पुनर्वास पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मकानों पर अब तक कुल व्यय ५०६·२३ लाख रुपया है । प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, किन्तु मैं प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बतला सकता हूं । यह ६,६८० है । नागरिक पुनर्वास के लिए ३२·५७ लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सा क्षेत्र उपलब्ध है, मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के अधिक परिवारों को बसाना संभव होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक सुझाव है । सरकार सदा इन व्यक्तियों के पुनर्वास को ध्यान में रखती है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूर्वी पाकिस्तान के परिवारों को देश के अन्य भागों में बसाने के लिये बार बार प्रयत्न किये गये हैं । मध्य भारत तथा अन्य क्षेत्रों में स्थान हैं । वास्तव में कठिनाई यह है कि पूर्वी बंगाल के परिवार इन स्थानों पर जाना नहीं चाहते । अन्यथा —मैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं कह सकता——विन्ध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर बहुत से अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, जहां इन्हें बसाया जा सकता है ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि क्या उन के पास कोई रेकार्ड ऐसा है जिस से मालूम हो सके कि उत्तर प्रदेश में जो शरणार्थी आये उन में से कितने आदमी ऐसे हैं जिन को गेनफुल आकुपेशन नहीं मिला है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस समय कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है ।

पुनर्वास अनुदान

*६३५. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश

सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिक अनुदान की प्रार्थना की थी ?

(ख) इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया गया था ?

(ग) मकान बनाने और कारवार शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को ऋण देने के लिए जो ३५ करोड़ रुपये की राशि व्यय की है, उस में से राज्य सरकार ने अब तक कितनी वसूल कर ली है ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार को मकान बनाने और विस्थापित व्यक्तियों को गृह निर्माण और नागरिक ऋण देने के लिए ४८ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है । इस के अतिरिक्त व्यवसायिक तथा टेकनिक प्रशिक्षण देने के लिए और निराश्रित स्त्रियों, बूढ़ों और उन के आश्रितों को सहायता देने के लिए, क्रमशः १.५ लाख रुपये और १.२४ लाख रुपये के अनुदानों की मंजूरी दी गई है ।

(ग) राज्य सरकार ने कुल ३,३९,६१, ७०७ रुपये गृह निर्माण तथा अन्य ऋणों के रूप में दिये हैं । ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कुल ७,६२,८७२ रुपये विस्थापित व्यक्तियों से वसूल किये जा चुके हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कर्जा अपने परिवार और दूसरे लोगों के नाम से लिया है और जिनका कर्जा वसूल नहीं हुआ है, और इस तरह से उन्होंने सरकार को धोखा दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ लोग जिन की तादाद करीब पांच सौ के है, उन्होंने कर्जा लिया और वह वहां से चले गये ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह जो रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र से दिया गया है, इस में उनको यह भी कह दिया गया है कि इतना रुपया पश्चिम से आये हुए शरणार्थियों पर खर्च किया जाय और इतना पूर्व से आये हुए शरणार्थियों पर खर्च किया जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास जो सूचना है उस से कोई ऐसी बात नहीं झलकती।

सेठ गोविन्द दास : क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस बात के सम्बन्ध में कोई पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की दरखास्तें हैं कि वे लोग मध्य प्रदेश में काफ़ी कठिनाई में हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इसका नोटिस चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : आपके जवाब में मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बजूहात हैं जिन के कारण मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, मध्य प्रदेश की प्रार्थना तो स्वीकार की गई है और उनके कहने पर यह ४८ लाख रुपये की रकम दी गई है । उनके सलाह मशविरे से ।

विदेशी कपड़े का आयात

*६३६. **श्री दाभी :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में विदेशी कपड़ा आयात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पुराने आयातकों को जनवरी-जून, १९५३ और जुलाई-दिसम्बर १९५३ की अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए उनके सब से अधिक आयात के वर्ष के आधे के १० से ३० प्रति शत तक कपड़े के आयात की अनुमति दी गई है ; किन्तु साटिन की किस्म

के इटली के कपड़े के, जो विदेश में नहीं बनता सब से अधिक आयात के वर्ष के शत प्रतिशत आयात की अनुमति दी गई है।

श्री दाभी: मैं जान सकता हूं कि १९५०-५१ में १९५२-५३ में, छाते के कपड़े को छोड़ कर, बाकी कितना और कितने मूल्य का कपड़ा और सूत आयात किया गया था और इन्हें आयात करने के कारण क्या थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं किसी विशेष किसम को छोड़ कर आंकड़े नहीं बतला सकता क्योंकि आंकड़े तैयार करने के लिए सब कपड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। १९५०-५१ में १३८ लाख रुपये का सूती कपड़ा जिस में, छाते का कपड़ा, इटली की साटिन और शेष किस्में सम्मिलित हैं आयात किया गया था ; १९५१-५२ में २३८ लाख रुपये का और १९५२-५३ में १४३ लाख रुपये का। इस के कारण ये हैं : कुछ किस्में इस देश में नहीं बनाई जातीं; दूसरे हाल में शुल्क बहुत अधिक बढ़ा दिये गये हैं, अधिमान शुल्क १५ प्रतिशत से ६५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और अनधिमान शुल्क १०० प्रतिशत तक। कुछ हद तक राजस्व को दृष्टि में रखकर आयात करने दिया गया है। तीसरा कारण यह है कि हम लगभग ६००० लाख गज कपड़ा निर्यात करते हैं और हम इस से कुछ अधिक अर्थात १०००० लाख गज निर्यात करने की आशा करते हैं। यदि हम आयात बिल्कुल बन्द कर दें और केवल निर्यात करना चाहें, तो विश्व में लोकमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा। आखिर आयात और निर्यात दोनों ओर से होना चाहिये।

श्री दाभी: मैं जान सकता हूं कि देश में कितना और कितने मूल्य का छाते का कपड़ा तैयार किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे पूर्व-सूचना लेनी पड़ेगी। स के बाद भी मैं कह नहीं सकता कि मैं यह जानकारी दे सकूंगा या नहीं।

श्री हेडा : यदि सरकार ठीक ठीक आंकड़े न दे सके, तो क्या इस बारे में कुछ बतला सकती है कि आयात किये हुए कपड़े में जो कि हम तैयार नहीं करते किन्तु जिसकी हमें आवश्यकता है और उस कपड़े में जो कि हम तैयार करते हैं किन्तु फिर भी आयात करते हैं, क्या अनुपात है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रकार का ब्योरा नहीं दे सकूंगा। आयात के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस कपड़े का मूल्य जो कि हम आयात करते हैं और जिस में वह कपड़ा भी सम्मिलित है जो हम देश में तैयार नहीं करते, ५० लाख से बढ़ नहीं सकता। हमारे निर्यात का लक्ष्य १०,००० लाख गज है किन्तु हम आयात संभवतः १०० लाख गज ही करेंगे।

सेठ गोविन्द दास: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिलों में और देश की कपड़े की मंडी में बहुत सा कपड़ा जमा हो चुका है, क्या सरकार इस वर्ष आयात की नीति में संशोधन कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र ने उत्तर बिल्कुल नहीं समझा। जैसा कि मैं ने कहा था, हम कुछ विशेष किस्मों के आयात की अनुमति दे रहे हैं, जिन पर ६५ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक शुल्क लग सकेगा। पहली बात तो यह है कि बहुत सा कपड़ा नहीं जमा हुआ। यह केवल माननीय सदस्य का ख्याल है। यह बाद में हो सकता है किन्तु इस समय नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लगभग ६०,००० लाख गज कपड़ा तैयार करते हैं जिस में से अधिकांश की खपत इसी देश में होती है। जुलाई में हम ने ४३५० लाख गज कपड़ा तैयार किया है।

इतना पहले कभी नहीं तैयार हुआ । इस बात को ध्यान में रखते हुए, उस थोड़े से विशेष किस्म के कपड़े से, जिसे आयात किया जा रहा है, किसी को हानि नहीं पहुंचेगी ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने भारत में साटिन तैयार करने की सुविधाओं पर विचार किया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री केलप्पन : आयात किये हुए कपड़े के मूल्य, उसी प्रकार के कपड़े के मूल्यों की तुलना में जो देश में तैयार होता है, कैसे है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रत्यक्षत: जापान के सिवाय, शेष सब देशों में उत्पाद व्यय अधिक है । अत: भारतीय कपड़े के मूल्य तुलनात्मक रूप से कम हैं । इस के अतिरिक्त हम ६५ से १०० प्रतिशत शुल्क लगाते हैं जिस से मूल्य बढ़ जाते हैं ।

श्री गौडिलिंग गौड : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को हाथ कर्घा बुनकरों के कष्टों का ज्ञान है और यदि हां, तो आयात की अनुमति देने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे बहुत पहले से इनका ज्ञान है । किन्तु इस से हाथ कर्घा बुनकरों के प्रश्न पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जो कुछ आयात किया जा रहा है, उसका हाथ कर्घा बुनकरों से कोई सम्बन्ध नहीं । इस के विपरीत, एक ऐसा कपड़ा जिसे हम आयात करने देते हैं, कशीदाकारी के काम के लिये प्रयोग किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कपड़े की कोई ऐसी किसमें भी हैं, जिन्हें आयात भी किया जाता है और निर्यात भी ?

उपाध्यक्ष महोदय : पुन: निर्यात किया जाता है ?

सरदार हुक्म सिंह : कुछ ऐसी किसमें हैं जो हम यहां तैयार करते हैं और जिन का हम ने आयात भी किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी किसमें भी थीं, जो कि बाहर से आयात की गई थीं और जो भारत से निर्यात भी की गई थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है । जैसा कि मैं ने कहा था, स्थानीय उत्पादन ६०,००० लाख गज से भी अधिक है । आयात १०० लाख गज से बढ़ नहीं सकता । तुलना करने का कोई आधार ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बार्सेलोना में भारतीय वाणिज्य-दूतालय

*६३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्पेन सरकार ने भारत सरकार से बार्सेलोना में भारतीय वाणिज्य दूतालय खोलने के लिए कहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी नहीं, बल्कि भारत सरकार ने बार्सेलोना में अवैतनिक वाणिज्य दूत की नियुक्ति के लिए उस सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना चाहा था, परन्तु स्पेनिश सरकार ने नियमित वैत्तनिक वाणिज्य दूत की नियुक्ति को अधिक अच्छा समझा । मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं उन देशों की कुल संख्या जान सकता हूं जिन में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे उठता है ? हमारे दूतावास तथा वाणिज्य दूतालय सभी देशों में हैं । यह सब सूचना पुस्तकों में मिल सकती है । अगला प्रश्न ।

दामोदर घाटी निगम को बिजली देने की दर

*६३८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति 'किलोवाट' वह दर क्या है जिस पर दामोदर घाटी निगम बिजली देने का विचार कर रही है ?

(ख) क्या यह दर निश्चित हो चुकी है ?

(ग) क्या जहां तक प्रति किलोवाट दर के प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से परामर्श किया गया है या किया जायगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : दामोदर घाटी निगम ने एक द्वि-भागी दर-पद्धति को अपनाया है, एक विवरण जिसमें इन दरों के ब्योरों का वर्णन है, सदन-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]** बिहार तथा बंगाल सरकारों से परामर्श नहीं किया गया है, परन्तु प्रंपुण उपभोक्ता होने से उन्हों ने इन दरों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री ए० एम० टामस: मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को कुछ क्षेत्रों में व्यय किये गये इस संशय का पता है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली की सम्भवतः काफ़ी मांग न हो तथा, यदि ऐसा है तो क्या इस संशय का कोई आधार है ?

श्री हाथी: ऐसा कोई संशय नहीं कि सारी बिजली का प्रयोग नहीं हो सकेगा ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम तथा उसी प्रकार की अन्य नदी घाटी योजनाएं असरकारी उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत शक्ति की दरों के बारे में एक दूसरे के विरोध में मूल्य-उद्धरण कर रही है ?

श्री हाथी: नहीं, श्रीमान । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने सभी विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में दरों को निश्चित किया है ।

श्री हेडा: यहां पर उत्पादित बिजली की कम से कम दर क्या है तथा मैसूर तथा अन्य स्थानों पर उत्पादित बिजली की कम से कम दरों से इन दरों की परस्पर तुलना क्या है ?

श्री हाथी: यह बात प्रत्येक विभिन्न योजना पर निर्भर करती है । हमारे पास विभिन्न परियोजनाओं द्वारा बिजली के उत्पादन की लागत मौजूद है तथा एक दूसरे से यह विभिन्न है ।

श्री सारंगधर दास: मैं पूछ सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित की जाने वाली सारी बिजली के बारे में उस क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक व्यवसायों तथा कलकत्ता शहर से सौदे हो चुके हैं ?

श्री हाथी: लगभग ८५,००० 'किलोवाट' का विभिन्न उद्योगों से सौदा हो चुका है ।

श्री केलप्पन: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि छोटे तथा कुटीर उद्योग कितने भाग की खपत करते हैं ?

श्री हाथी: इसे परचून उपभोक्ता पर छोड़ा गया है जो परचून विक्रेता से खरीदेगा । दामोदर घाटी निगम इकट्ठी मात्रा में बिजली को बेचता है ।

श्री बो० पो० नायर: मैं जान सकता हूं कि दामोदर घाटी निगम बिहार सरकार को किस दर पर बिजली देता है तथा बिहार सरकार जनता को किस दर पर उसे बेचती है ?

श्री हाथी: जो विवरण मैं ने सदन पटल पर रखा है, उसमें दामोदर घाटी निगम की दरों का वर्णन किया गया है । जहांतक बिहार सरकार के परचून उपभोक्ता को बेचने की दर का सम्बन्ध है, इस क्षण मेरे पास कोई सूचना नहीं ।।

मानव अधिकारों सम्बन्धी शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली समिति

*६३९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अधिकार पत्र तथा विश्व-घोषणा पत्र में परिभाषित मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों के बारे में कार्यवाही करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ; तथा

(ख) क्या भारत के प्रतिनिधि को उस समिति में शामिल किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). अभी तक ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है ।

सिंध घाटी का विकास

*६४०. **श्री एम० आर० कृष्ण :** **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की बैठक में, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, मि० यूजीन ब्लैक की अध्यक्षता में हुई थी यह निर्णय किया गया है कि सिंध घाटी की सिंचाई योजनाओं के लिए रूपया दिया जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं । संभवतः पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष मि० ब्लैक के उस भाषण की ओर निर्देश किया जा रहा है, जो कि उन्होंने १४ अप्रैल १९५३ को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के पन्द्रहवें अधिवेशन में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दिया था। इस में सिंध घाटी में सिंचाई योजनाओं के लिए रुपया देने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं । सिंध घाटी में किसी सिंचाई योजना के लिए रुपये की सहायता देने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा, जब कि कार्यकारी दल विकास का एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर लेगा ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जान सकता हूं कि क्या सिंध घाटी के बारे में भारत सरकार के और पाकिस्तान के विशेषज्ञों की कोई बैठक हुई थी ?

श्री हाथी : बैठकें हुई थीं । अगले सितम्बर में वाशिंगटन में एक सम्मेलन होने वाला है ।

अरियोमाइसिन तैयार करने वाला संयंत्र

*६४२. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बुलसार में आरियोमाइसिन तैयार करने वाले संयन्त्र ने काम शुरू कर दिया है ?

(ख) प्रतिमास आरियोमाइसिन के कितने यूनिट तैयार किये जायेंगे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस दवाई से कुकरे दूर हो जाते हैं ?

(घ) यह संयन्त्र किसने बनाया था ?

(ङ) सरकार को इस पर कितना व्यय करना पड़ा है ?

(च) अमरिका ने क्या सहयोग दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । श्रीमान् ।

(ख) कहा जाता है कि इस संयन्त्र का उत्पादन सामर्थ्य १०० किलोग्राम प्रति मास है ।

(ग) मेरे विचार में डाक्टरों की यही राय है ।

(घ) संयन्त्र अमेरिकन सायनामाइड कम्पनी, अमेरिका ने बनाया था ।

(ङ) सरकार ने इस परियोजना में कोई रुपया नहीं लगाया ।

(च) टेकनिकल सहयोग के सम्बन्ध में एक भारतीय और एक अमेरिका की फ़र्म के बीच समझौता हुआ है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि अमेरिका और भारत के बीच क्या समझौता हुआ था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, समझौता एक अमेरिकन फ़र्म और एक भारतीय फ़र्म के बीच है ।

श्री हेडा : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि विदेशी फ़र्म ने कितनी पूंजी लगाई है और भारतीय फ़र्म ने कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह कहूंगा किन्तु इसमें संशोधन हो सकता है कि विदेशी फ़र्म ने १० प्रतिशत पूंजी लगाई है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि उस मूल्य के बारे में जिस मूल्य पर यह दवाई भारत में बेची जायगी, भारतीय फ़र्म और अमेरिकन फ़र्म के बीच कोई समझौता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह समझौता इस प्रकार का है कि विक्रय सायनामाइड कारपोरेशन की एक अमेरिकी संस्था द्वारा होता है । अतः दोनों फ़र्मों के बीच मूल्य के बारे में समझौते का कोई प्रश्न नहीं ।

श्री पुन्नूस : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक आवश्यक दवाई है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे भारत के लोगों को कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार कर सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रस्ताव यह है कि यह महत्वपूर्ण आवश्यक दवाई कम से कम संभव मूल्य पर उपलब्ध कराई जाये, सरकार सदा ध्यान रखती है कि जो मूल्य निश्चित किये जायें, वे उचित हों।

मोटरों के अवयव भूत अंशों पर आयात शुल्क

*६४३. **श्री एल० एन० मिश्र : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरों के अवयव भूत अंशों पर आयात शुल्क घटा देने के कारण क्या हैं ; तथा

(ख) सरकारी खजाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मोटर उद्योग के विकास की राह में मुख्य बाधा यह ह कि मांग तुलनात्मक रूप से कम है । मांग के बढ़ाने के लिये अवयव भूत अंशों पर शुल्क घटाना आवश्यक था ताकि देश में मोटर गाड़ियों के मूल्यों को कम किया जा सके ।

(ख) यदि आयात का माल उस किसम का हुआ, जैसा कि यहां तैयार होता है, तो शुल्क घटाने से आय में लगभग ३ करोड़ रुपये का घाटा होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि ये अंश किन किन देशों से आयात किये जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका से ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या आयात शुल्क घटाने की नीति से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या देशी उद्योग को संरक्षण मिलेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दोनो ही संभव हैं । हो सकता है कि देशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाय । जहां तक संरक्षण का सम्बन्ध है, यह आयातों के नियंत्रण द्वारा दिया जाता है ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि इस आयात नीति के फलस्वरूप कारें मूल्य में कितनी सस्ती हो जायेंगी और मूल्य में कमी से कितनी राशि की बचत होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी इस तरह के आंकड़े नहीं दिये जा सकते। उन्हें कुछ देर ठहरना होगा।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि उन अवयव भूत अंशों में जिन पर आयात शुल्क घटाया गया है, बदलने के लिये पुर्जे भी सम्मिलित हैं और यदि हां, तो क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे कोई पग उठाये हैं जिनके फलस्वरूप इस प्रकार के पुर्जे सस्ते दामों पर बेचे जा सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक शुल्कों का सम्बन्ध है, शुल्क लगाने के लिये उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। उसमें इंजन के पुर्जे और उस के भाग तथा मोटरों के अन्य भाग होते हैं जिन्हें जोड़ कर इस देश में मोटरें तैयार की जाती हैं। ये मोटरों के भागों के मूल्यों को घटाने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रही है और मैं समझता हूं कि मैं पहले सदन में इसके सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैंने बताया था कि सरकार मोटर के पुर्जों के अंकित मूल्य को उनके यहां उतरने पर जो लागत आती है उसे ९० प्रतिशत से ११० प्रतिशत तक से कम करके ३८ प्रतिशत से ३४ प्रतिशत तक ले आई है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ जानती है कि आयात शुल्क घटाने से और वर्तमान मूल्यों को बनाये रखने से व्यापारियों को कितना लाभ होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मोटर उद्योग अभी मेरे हाथ में नहीं आया। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ज्ञात नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अपनी मोटर उद्योग संबन्धी नीति में कोई परिवर्तन किया है और यदि हां, तो क्या उसने प्रशुल्क आयोग से परामर्श लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र सरकार की कार्यवाई का और देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसके प्रभाव का बड़े परिश्रम से अध्ययन करते हैं। मेरे विचार में उन्हें इसके बारे में सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। हमारी नीति समय समय पर बदलती रही है। हमारी अन्तिम नीति प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि शुल्क में कमी इस लिए की गई है क्योंकि उन कारखानों की कार्य क्षमता जो भारत में पुर्जे तैयार कर रहे हैं, इतनी नहीं बढ़ी कि वे विदेशों के साथ मुकाबला कर सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरी शक्ति से बाहर है।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात की व्यवस्था करने के लिए क्या पग उठाए हैं कि आयात शुल्क घटने के साथ भारत में तैयार की जाने वाली कारों के मूल्य भी घट जायें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी काम शुरू नहीं हुआ। इसके शुरू होने के बाद जो कुछ आवश्यक होगा किया जायगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार को विदित है कि शुल्क में कमी होने से बाजार में मूल्य कम नहीं हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी का उन्होंने अभी उत्तर दिया है।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार को ३ करोड़ रुपये

का घाटा होगा । क्या मैं मोटरों के निर्माण के अंशों के सम्बन्ध में और बदलने के पुर्जों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह वक्तव्य कि सरकार को संभवतः ३ करोड़ रुपये की हानि होगी इस बात पर आधारित है कि अनुमानतः उसी श्रेणी का और उतना ही आयात किया जायगा जितना कि पिछले वर्ष किया गया था । यह केवल कल्पना की उड़ान है और मैं इसी तरह कल्पना करके यह नहीं कह सकता कि इस के परिणाम क्या होंगे ।

कास्टिक सोडा और सोडा छार

*६४५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों से कितने कास्टिक सोडे और सोडा क्षार का आयात किया गया ?

(ख) क्या सौराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष सौराष्ट्र में सोडा कास्टिक और सोडा क्षार का एक ऐसा संयन्त्र लगाने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है जो इन रासायनिक पदार्थों को इतनी मात्रा में तैयार करेगा कि जिस से देश की सम्पूर्ण आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ?

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है ?

(घ) यदि हां, तो उसने क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) सौराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है । परन्तु सौराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सोडा क्षार और कास्टिक सोडे के उत्पादन के लिये दो निजी पक्षों की योजनाओं की सिफारिश की थी ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) जिस रूप में ये योजनायें प्रस्तुत की गई थी उस रूप में सरकार को उन में से कोई भी योजना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने ये योजनायें बनाई थीं उन्होंने यातायात, वित्त इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं की ओर पूरा पुरा ध्यान नहीं दिया था । सम्भव है पहिले की योजनाओं पर जो टीका टिप्पणीं की गई थी उसे ध्यान में रखते हुए नई संशोधित योजनायें प्रस्तुत की जायें । यदि ऐसा हुआ, तो उन पर आगे और विचार किया जायगा ।

श्री पुन्नूस : विवरण में यह दिया हुआ है कि १९५१-५२ में ६२,७१३ टन कास्टिक सोडे का आयात किया गया था, जब कि १९५२-५३ में, केवल २५,५४३ टन का ही आयात किया गया है । मैं जान सकता हूं कि आयात में इस कमी का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहिले अनुज्ञप्तियां देने में कुछ छूट थी । आप देखेंगे कि सोडा क्षार के मामले में भी ऐसा ही हुआ है । हमने देखा कि इस से स्थानीय उत्पादन में बाधा पड़ती है और इसलिए आयातों को विनियमित करना पड़ा ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से यह ज्ञात होता है कि १९५२-५३ में हमें ८१,५८८टन सोडा क्षार का आयात करना पड़ा । क्या मैं इस मात्रा का लगभग मूल्य जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

भारतीय कहवा बोर्ड द्वारा विक्रीत कहवा

*६४६. **श्री हेडा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि भारतीय कहवा बोर्ड ने मई, जून और जुलाई १९५३ में विभिन्न प्रकार का कितना कहवा नीलाम किया ?

(ख) इसकी तुलना में १९५१ और १९५२ के इन्ही मासों में कितना कहवा बेचा गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]

श्री हेडा : विवरण से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विशेषतया जून मास में कहवा अधिक मात्रा में बेचा गया था। इस के बावजूद भी कहवे के मूल्य चढ़ गये हैं और बाज़ार में इस की कमी है। सरकार इस के क्या कारण समझती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जून जुलाई में कहवे के मूल्य थोड़ा या बहुत कहवा बोर्ड की विपणन समिति द्वारा निश्चित मूल्यों के आस पास ही रहे हैं। ये निश्चय ही पिछले मूल्यों से अधिक हैं, क्योंकि कहवा बोर्ड की विपणन समिति ने अधिक ऊंचे मूल्य निश्चित किये हैं। उन की सम्मति में उत्पादन व्यय बढ़ गया है। जहां तक बाज़ार में इसकी कमी का सम्बन्ध है, मैं विशेष रूप से इस की अधिक मात्रा में विक्री को ध्यान में रखते हुए इस का कारण बतलाने में असमर्थ हूं। यदि फिर भी इस की कमी है तो इस का कारण इस के परिवहन में कोई कठिनाई होगी या व्यापारी लोग इस के एक समान वितरण की व्यवस्था के लिये पूरा सहयोग नहीं कर रहे होंगे।

श्री हेडा : यदि सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि व्यापारी लोग पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सरकार का व्यापारियों से पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए और इसके मूल्यों को गिराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कहवे के वितरण की योजना में सरकार तो अन्य पक्ष है। इस समय यह केवल इतना ही कर सकती है कि कहवा बोर्ड को बेचने के विभिन्न तरीके सुझा दे। वास्तव में, गत वर्ष के अन्त में — मेरे विचार में ३१ दिसम्बर को—मैंने बोर्ड से यह कह भी दिया था कि मैं तो नीलामी को समाप्त कर देना ही अच्छा समझता हूं और प्रत्येक व्यापारी को अलग अलग वितरण करने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार पहिले ऐसा करके देखा था किन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और यह तरीका अपनाने का विरोध किया गया था। सरकार और कहवा बोर्ड के बीच निरन्तर पत्र-व्यवहार चल रहा है और सम्भवतः कुछ समय में इस का परिणाम निकल आयेगा, किन्तु इस समय, जैसा कि मैंने बतलाया, माननीय सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि इस योजना के विषय में सरकार तो अन्य पक्ष है।

श्री एन० सोमना : क्या सरकार को यह बात विदित है कि इस विक्री के बावजूद भी उगाने वालों के पास १५,००० टन का भारी भण्डार अब भी अवशिष्ट है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, मैंने इस विषय में सुना है।

श्री एम० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस वर्ष कहवे का निर्यात करने का विचार है और क्या उसने इस विषय में कोई निश्चय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब तक मूल्यों में पर्याप्त कमी नहीं हो जाती तब तक सरकार इस के निर्यात की किसी योजना का अनुमोदन करने का दुस्साहस नहीं करेगी।

श्री ए० वी० टामस : देश में कहवे के १५,००० टन के बड़े भारी भण्डार को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस के निर्यात के सम्बन्ध में क्या नीति है और क्या उस ने इस

बारे में कोई निश्चय किया है कि वह कितनी मात्रा का निर्यात करने देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उसी उत्तर को दोहरा देता हूं जो कि मैं ने दूसरे माननीय सदस्य को दिया है । जब तक भाव गिरते नहीं सरकार निर्यात की अनुमति नहीं देगी ।

श्री ए० वी० टामस : क्या मंत्री जी को यह विदित है कि ८ या ९ करोड़ रुपये के मूल्य के कहवे के इस बड़े भण्डार को रोके रखने से कहवा उगाने वालों को कितना कष्ट होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम तो इस विषय में तर्क कर रहे हैं। देश में ही इस के ग्राहक हैं ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने नीलामी के द्वारा बेचे गये कहवे के आंकड़े बतलाये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि विगत वर्षों में इसी अवधि में सब प्रकार का कितना कहवा बेचा गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य अलग से एक प्रश्न पूछें तो मैं बतला सकता हूं। मैं इन आंकड़ों को स्मरण नहीं कर सकता । ये हर समय मेरे दिमाग में नहीं रहते ।

श्री ए० एम० टामस : यदि माननीय मंत्री आंकड़े नहीं बतला सकते तो क्या वे यह बतला सकते हैं कि १९५२ की तुलना में १९५३ में कितनी बिक्री हुई है, क्या यह अधिक हुई है या कम हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने जो आंकड़े बतलाये हैं उन से यह ज्ञात होता है कि बिक्री में थोड़ी सी वृद्धि हुई है । बहुत सम्भव है कि यदि भाव और गिर जायें तो बिक्री बढ़ जायेगी ।

श्री हेडा : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिये हैं उन से यह प्रतीत होता है कि सरकार भारतीय कहवा बोर्ड से सन्तुष्ट नहीं है । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय या विधि में संशोधन करने का विजार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सदन को विदित है कि हम कहवा बाजार विस्तार अधिनियम बनाने वाले हैं । बहुत सम्भव है कि यदि सदन उस विधेयक को उस रूप में या किसी अन्य रूप में स्वीकार कर ले और सरकार को कुछ और शक्ति मिल जाये तो हम इस स्थिति को, जो कि इस समय असाध्य प्रतीत होती है, ठीक कर लेंगे ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्योंकि निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलता इसलिये उत्पादन के लिये प्रेरणा भी नहीं मिलती ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें सर्वविदित हैं । इस बात पर तर्क करने से कोई लाभ नहीं। अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी को सौंपे गये विवाद

*६४७. **श्री हेडा** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों या राज्य विद्युत परिषदों के बीच (१) १९५२ में तथा (२) १९५३ के प्रथम अर्धवर्ष में कितने विवाद उत्पन्न हुए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी को सौंपे गये ?

(ख) प्राधिकारी इनमें से कितने विवादों का निर्णय कर चका है ?

(ग) अभी तक कितने शेष हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) । कोई नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय फ़ेडरेशन

*६४८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारत सरकार से सम्पर्क रखने वाले समाचार-पत्र फोटोग्राफरों को अधिकार-पत्र देने की प्रणाली को विधिवद्ध करने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फेडरेशन ने इसका विरोध किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) भारत सरकार के मुख्य कार्यालय में समाचारपत्र फोटोग्राफिरों तथा सामाचार चल चित्र के फोटोग्राफरों को अधिकारपत्र देने के लिये नियम बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फेडरेशन ने त्रिवेन्द्रम में जो प्रस्ताव पारित किया था उसकी एक प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : ऐसी कौनसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस के कारण भारत सरकार को यह नई प्रणाली लागू करनी पड़ी है ?

डा० केसकर : नई प्रणाली का कोई प्रश्न नहीं है । समाचारपत्रों के फोटोग्राफरों की सुविधाओं के लिये प्रार्थनापत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और सरकारी उत्सवों में उन्हें जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वे सीमित हैं अतः हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ताकि वे पत्रकार जिन्हें सुविधायें दी जायें, उनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : फोटोग्राफरों को अधिकार पत्र तथा सुविधा देंने के सम्बन्ध में क्या पहले से ही कोई नियम है ?

डा० केसकर : सामान्यतः कोई कठोर नियम नहीं हैं । परन्तु इन सुविधाओं के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों की पूछताछ की गई थी कि वे क्या काम कर रहे थे, उन का किस समाजार पत्र से सम्बन्ध था, आदि । परन्तु जब प्रार्थनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई, हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ा कि क्या प्रेस फोटोग्राफ़रों को अधिकार-पत्र देने के सम्बत्ध में कुछ निश्चित नियमों का होना आवश्यक है ?

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या समाचार-फोटोग्राफरों के प्रवेश पर अन्य देशों में कोई प्रतिबन्ध हैं ?

डा० केसकर : यदि माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना दे दें तो मैं पता लगाऊंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या कोई ऐसा नियम है कि ये प्रवेश-पत्र देने से पहिले पुलिस विभाग से रिपोर्ट प्राप्त की जाये ?

डा० केसकर : मैं एक दम उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शर्त है कि इतने वर्षों का अनुभव रखने वाले समाचार-पत्र-फोटोग्राफरों को अधिकार पत्र दिये जायेंगे ?

डा० केसकर : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी प्रश्न नहीं समझ सका हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शर्त है कि अधिकार पत्र के लिये प्रार्थना करने वाले समाचार-पत्र-फोटोग्राफर को किसी समाचारपत्र में इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिये, यदि ऐसा है, तो क्या यह शर्त अधिकार-पत्र प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करती ?

डा० केसकर : नियमों का प्रश्न विचाराधीन है मैं यह नहीं बता सकता कि अभी तक कोई नियम बनाये गये हैं। परन्तु कदाचित मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं कि सम्पूर्ण प्रश्न उत्पन्न होने का कारण यह है कि दी जाने वाली सुविधायें प्रेस फोटोग्राफरों के लिये हैं। प्रार्थनापत्रों की संख्या इतनी बढ़ गई है, कि बहुत से मामलों में यह देखा गया है कि प्रार्थना करने तथा अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति, किसी भी समाचार पत्र का नियमानुकूल कर्मचारी नहीं है, अपितु ऐसे अवसरों पर फोटो लेने की दृष्टि से उससे काम लिया गया है। प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक होन की दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि हमें समाचारपत्रों के नियमानुकूल कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिये या नहीं, अथवा हमें उन व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र देने चाहिए या नहीं जिनसे कुछ समाचार-पत्र कभी कभी काम लेते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि अभी नियम बनाये जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि नियमों को बनाने के पूर्व श्रमजीवी पत्रकारों की फेडरेशन से परामर्श किया जायेगा ?

डा० केसकर : जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का सम्बन्ध है, श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन से अवश्य ही परामर्श किया जायेगा मैं पहिले ही बता चुका हूं कि इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रेस-फोटोग्राफरों से है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वे भी श्रमजीवी पत्रकार हैं।

डा० केसकर : जैसा कि मैंने पहिले कहा था कि सरकार जो सुविधायें दे सकती है वे सीमित हैं। यदि सुविधा बहुत ही सीमित हो, तो सरकार के लिये यह सम्भव न होगा कि वह सब प्रार्थियों को सुविधा दे सके, चाहे वे विशेष शर्तों की पूर्ति ही क्यों न करते हों, क्योंकि सरकारी उत्सवों आदि में स्थान की कमी होती है।

निश्चय ही, श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फेडरेशन से परामर्श करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं ६४९वां प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं ६५०वां प्रश्न पूछ रहा हूं।

विस्थापित व्यक्तियों के दावों की जांच

*६५०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बहुत से विस्थापित व्यक्ति, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य ठीक न होने तथा अन्य ऐसे ही कारणों से, अपने दावों को ठीक सिद्ध करने के लिए दावाआयुक्त के सम्मुख प्रस्तुत न हो सके ?

(ख) ऐसे मामलों पर विचार करने तथा ऐसे व्यक्तियों को अपने दावों को सिद्ध करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं या करने का विचार है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि प्रश्न में वर्णित कारणों से कोई दावाकर्ता दावा-अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुआ। यहां तक कि यदि यह सत्य भी है, तो भी दावाकर्ताओं को यह सुविधा है कि वे न्यायालय शुल्क टिकड के बिना ही एक सादा सा प्राधिकार पत्र अपने अभिकर्ता को दे कर वहां भेज सकते हैं।

(ख) कोई प्रबन्ध आवश्यक नहीं समझा जाता।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि अपाहिज दावेदारों से भी उन के निवास

स्थान से मीलों दूर दावा अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया ?

श्री के० डी० मालवीय : जो सुविधाएं दी जाती हैं उन से पता चलता है कि दावा अधिकारियों को यह अनुमति है कि वे दावे करने वालों के निवास स्थानों पर जा कर दावों की पड़ताल करने के लिये दौरे कर सकते हैं। इसलिये मीलों दूर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ऐसे आदमियों की गिनती कितनी है जिन्होंने क्लेम्स के वेरिफ़िकेशन के लिये रिमाइन्डर भेजे हैं और जिनके लिये दफ़्तर में मालूम हुआ है कि उन की एप्लीकेशन ही नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास तो इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिन के क्लेम्स दाखिल नहीं हुए हैं उन की तादाद बहुत थोड़ी है, चार लाख में करीब चार हजार।

लाला अचिन्त राम : मेरा सवाल मुख्तलिफ़ है।

श्री के० डी० मालवीय : आप ने जो कुछ पूछा उस की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री गिडवानी : यदि कोई ऐसे उदाहरण हों, जहां दावे करने वाले पंगु होने के कारण दावा अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए और दावा अधिकारी भी उन के निवास स्थानों पर नहीं जा सके, तो क्या सरकार इन लोगों को सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : २७ मई, १९५३ को निकाली गई एक विज्ञप्ति में यह आश्वासन दिया गया है कि जिन दावों की दावा करने वालों की भूल के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पड़ताल नहीं हो सकी, उनकी पड़ताल की जायगी परन्तु शर्त यह है कि दावा अधिनियम की अवधि समाप्त होने से पहले इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना की गई हो।

श्री गिडवानी : 'भूल' शब्द का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पंगु है—मैं एक नेत्रहीन व्यक्ति को जानता हूं जिसे कोल्हापुर से शोलापुर जाने को कहा गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हो सका—क्या यह उस की भूल समझी जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह सुझाव मंत्रालय तक पहुंचा दें।

उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त आदि के विस्थापित जमीन-मालिक

*६५१. श्री गिडवानी : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बहावलपुर, सिंध और बलोचिस्तान में कृषि की भूमि के मालिक थे, अर्ध-स्थायी आधार पर अभी तक खेती के लिये भूमि नहीं दी गई जैसे कि पश्चिमी पंजाब के विस्थापित जमीन मालिकों को दी गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि इन विस्थापितों में अशक्त लोगों बच्चों तथा विधवाओं को गुजारे का भत्ता भी नहीं दिया गया जैसा कि नागरिक सम्पत्ति के मालिकों को दिया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन लोगों के अभ्यावेदनों के उत्तर में उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि क्षतिपूर्ति की योजना में उनके मामले को प्राथमिकता दी जायगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) उत्तर पश्चिमी सीमा-प्रान्त, बहावलपुर

सिंध और बलोचिस्तान में जो लोग जमीन के मालिक थे, उन्हें—पंजाब के विस्थापितों को छोड़ कर—अर्ध-स्थायी आधार पर जमीन नहीं दी गई है परन्तु उन में से बहुतों को अस्थायी रूप से भूमि दी गई है। हाल ही में इन लोगों को हैदराबाद में कुछ भूमि दी गई और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे लोगों को बीकानेर डिवीजन में ३०,००० एकड़ भूमि दी जाय। इन के लिये अल्वर तथा भरतपुर में भूमि रक्षित रखने का प्रश्न विचाराधीन है। जमीन के गैर-पंजाबी मालिकों को अन्य राज्यों में भी जमीनें दी गई हैं।

(ख) पाकिस्तान से आए विस्थापितों को गुजारे का भत्ता देने की योजना केवल उन्हीं विस्थापित व्यक्तियों के लिये है जिन के पास पश्चिमी पाकिस्तान के नगरों में सम्पत्ति थी।

(ग) क्षतिपूर्ति की योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही इन लोगों को भूमि देन का भरसक प्रयत्न किया जा रहा ह।

श्री गिडवानी। क्या सरकार का ध्यान श्री नकुल सेन द्वारा विस्थापित सिंधी कल्याणें संस्था, बम्बई के मंत्री को लिखी गई चिटठी के उत्तर में लिखे गए पत्र की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया था कि उन के दावों की पड़ताल से पहले, अन्यों की अपेक्षा उन्हें जल्दी सहायता देने की कोई योजना बनाना सम्भव है ? क्या सरकार को मालूम है कि प्राथमिकता सूची में इन जमीन-मालिकों का नाम नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

श्री के० डी० मालवीय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामोद्योग जिन का विकास किया जाना है

*६४१. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५३-५४ में किन उद्योगों का विकास करना है ?

(ख) क्या बोर्ड ने चन्द्रनगर के श्री घटक द्वारा बनाई गई हाथ से चावल कूटने की मशीन का निरीक्षण किया है ?

(ग) क्या यह सच है कि निर्माता ने यही मशीन रेल शताब्दी प्रदर्शिनी में दिखाई थी ?

(घ) यदि हां, तो इस मशीन में कितना धान कूटा जा सकता है ?

(ङ) इस मशीन का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) (१) खादी

(२) ग्रामीण तेल उद्योग

(३) नीम के तेल से साबुन बनाना

(४) हाथ का बना कागज

(५) मधुमक्खियों का पालन

(६) ताड़ का गुड़

(७) गुड़ और खंडसारी

(८) चमड़ा

(९) कुटीर दियासलाई उद्योग

(१०) हाथ से धान कूटना

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां। यह मशीन निर्माता एजेंट श्री हनुमान फाऊंड्री एंड इंजीनीयरिंग कम्पनी लिमिटिड, फुलश्वेर, डाकघर उलुबेरिया, हावड़ा, ने दिखाई थी।

(घ) प्रति घंटा १० पौंड चावल।

(ङ) ८५ रुपये ; बांधने तथा पहुंचाने की लागत के अतिरिक्त

बिजली तैयार करने की भारी मशीनों का उद्योग

*६४४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली पंच-वर्षीय योजना में मूल उद्योगों तथा यातायात के लिए ५० करोड़ रुपये की जो राशि रखी गई है, उस में से ७ करोड़ रुपये बिजली तैयार करने की भारी मशीनों के उद्योग के लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में कितनी राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) इस वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में १९४८ के प्रारम्भ में बनाई गई अनुसंधान समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)। अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की फर्मों से, जो सिद्धान्त रूप में इस कार्य में वित्ताय तथा टक्नाकल सहयोग करने को तैयार हैं कहा गया है कि वे वर्तमान स्थितियों की फिर से पड़ताल करें । विचार है कि इस सम्बन्ध में १९५३-५४ में सरकार के हिस्से जितना खर्च आएगा वह ५ लाख से अधिक नहीं होगा ।

(घ) तथा (ङ)। इस समय की बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समिति की सामान्य सिफारिशों पर समुचित विचार किया जायगा । नई परियोजना रिपोर्टों के मिलने के बाद ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करना सम्भव होगा ।

मोटर उद्योग

*६५२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने मोटर गाडियां बनाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है ?

(ख) यह कार्यक्रम कितने समय के लिए बनाया गया है ?

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की स्वीकृति दी है ?

(घ) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई ?

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्त में मोटर गाड़ियों के पुर्ज़ों का कितने प्रतिशत भारत में बनाए जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैसर्ज़ हिन्दुस्तान मोटर्स, लिमिटेड कलकत्ता ।

मैसर्ज़ प्रिमीयर आटोमोबिल्स लिमिटेड, बम्बई ।

मैसर्ज़ स्टेण्डर्ड मोटर प्राडक्टस आफ़ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास; मैसर्ज़ आटोमोबिल प्राडक्टस आफ़ इण्डिया और मैसर्ज़ अशोक मोटर्स को भी मोटर गाड़ियां बनाने की व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है परन्तु अभी तक उनका निर्माण कार्यक्रम नहीं मिला है ।

(ख) निर्माण कार्यक्रम १९५५–५६ तक के लिए है ।

(ग) से (ङ) । हिन्दुस्तान मोटर्स तथा प्रिमीयर आटोमोबिल्स तो स्वतंत्रता से पहले ही बन गई थीं और सरकार को उन के कार्यक्रम का पता था यद्यपि कोई विशेष स्वीकृति नहीं दी गई थी । अन्य तीन फर्मों को मोटरें बनाने की अनुमति १९४८ तथा १९४९ में दी गई थी और

उस समय उन्होंने बता दिया था कि वे किस दिशा में प्रगति करना चाहती हैं । यह स्वीकार भी कर ही लिया गया था । परन्तु तटकर आयोग ने यह रिपोर्ट दी है कि हिन्दुस्तान मोटर्स के अतिरिक्त और किसी ने विशेष प्रगति नहीं की । इसलिए उन सब से विस्तृत कार्यक्रम देने को कहा गया है । यह कार्यक्रम तैयार करने में सरकार का उद्देश्य यह है कि मोटर गाड़ियों के आवश्यक पुर्जों के निर्माण में यथासम्भव प्रगति हो ।

बर्मा का क्रय नियोग

*६५३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में बर्मा का एक क्रय नियोग यह देखने के लिए भारत आया था कि भारत में बनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं या नहीं ?

(ख) यदि हां, तो बर्मा निकट भविष्य में भारत की कौन सी मुख्य वस्तुएं खरीदेगा ?

(ग) क्या यह वस्तुएं अन्य माल के बदले खरीदी जायेंगी या कि इन का मूल्य नकद चुकाया जायगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) आप का ध्यान बर्मा के क्रय नियोग के साथ हुए पत्र व्यवहार की ओर दिलाया जाता है जिस की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) बर्मा जो माल खरीदेगा उस का मूल्य नकदी में चुकाया जायगा ।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

*६५४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **निर्माण गृह-कार्य तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विविध नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये राज्य सरकारों से योजनायें मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेजी हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं पर का व्यय केवल भारत सरकार द्वारा पूरा किया जायगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां ।

(ख) नौ ।

(ग) जी नहीं । जैसा कि १४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर में बतलाया जा चुका है, कि राज्य सरकारों; स्थानीय समितियों द्वारा गंदी बस्तियों को हटाये जाने के लिये उचित ढंग से केन्द्र की ओर से दी जा सकने वाली सहायता के प्रकार एवं परिमाण का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

हज समितियां

*६५५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष हज समिति, कलकत्ता तथा केन्द्रीय हज समिति, नई दिल्ली ने तब से कार्य करना बन्द किया है जब से १९५२ में उनकी वर्तमान अवधि समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये समितियां ही स्थायी समितियों के रूप में काम करेंगी; और

(ग) इन समितियों पर व्यय की जाने वाली आवर्त्तक तथा अनावर्तक राशि कितनी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) । विशेष हज समिति, कलकत्ता की वर्तमान अवधि २८ फरवरी, १९५४ को, और केन्द्रीय

हज समिति, नई दिल्ली की अवधि २६ अप्रैल, १९५४ को समाप्त हो जाती है। यद्यपि इस प्रकार का विचार है कि इन समितियों को स्थायी बनाया जायगा, फिर भी जब तक इन से उपयोगी काम होता रहेगा, तब तक प्रत्येक समिति वार्षिक अवधि के समाप्त होते ही पुनः निर्मित हुआ करेगी।

(ग) विशेष हज समिति, कलकत्ता का वार्षिक औसत व्यय १०,५१९ रुपये, और केन्द्रीय हज कमेटी, नई दिल्ली का वार्षिक औसत व्यय १,३६२ रुपये है।

इंजीनियरिंग सामर्थ्य का पर्यालोकन

*६५६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की इंजीनियरिंग सामर्थ्य के पर्यालोकन का कार्य शुरू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर्यालोकन का अभिप्राय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ११ अगस्त, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

ग्रामीण गृह-व्यवस्था

*६५७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण गृह-व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कोई निश्चित नीति बना सकी है ; और

(ख) क्या किसी भी सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण गृह व्यवस्था की कोई योजना चलाई जा रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह : (क) हम ग्रामीण गृह-व्यवस्था प्रमापों में सुधार कराने के लिये सहायता प्राप्त स्वयं-सेवा पद्धति लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

(ख) इस प्रकार की कोई नियमबद्ध योजना नहीं, किन्तु सामुदायिक परियोजना व्यवस्थापन विविध राज्यों के परियोजनागत क्षेत्रों में कुछ एक नमूने के गांव बनाने के लिये प्राविधिक सहायता देने की व्यवस्था कर रहा है ; चुनांचि उक्त व्यवस्थापन कई राज्यों में के कुछ एक चुने हुये गांवों में थोड़े से आदर्श मकान बनवाने में सहायता दे रहा है ?

लऊसो पाट

*६५८. **श्री रिशांग किशिंग:** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या थोंबल स्थित सामुदायिक परियोजनाओं के पदाधिकारियों ने लऊसी पाट में, वहां के समीपस्थ गांवों के रहने वालों की सहायता तथा ऐच्छिक श्रम से, पहाड़ काटने का काम संभाला ?

(ख) उक्त योजना में ऐच्छिक श्रम के रूप में कितने जनश्रम-घंटे लगे ?

(ग) किन कारणों से यह योजना असफल हुई ?

(घ) उक्त योजना को छोड़ने के परिणामस्वरूप कितने धन का घाटा हुआ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ११,०४,००० जनश्रम-घंटे।

(ग) उक्त योजना चल रही है और उस पर काम भी हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम जांच समिति की रिपोर्ट

*६५९. **श्री टी० के० चौधरी:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम पर राव कमेटी द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि की गई हो तो, की जा चुकी है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : उक्त समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है । राव कमेटी की सिफारिशों पर दामोदर घाटी निगम तथा भाग लेने वाली दो अन्य सरकारों की सम्मतियां मांगी गई हैं । इन सम्मतियों के प्राप्त होने तथा इस पर विचार किये जाने के बाद, उक्त रिपोर्ट पर बहस करने के लिये प्राय: सितम्बर १९५३ के प्रथम सप्ताह में एक अन्त: राज्य अधिवेशन को बुलाने का विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

*६६०. **श्री लक्ष्मीधर जेना:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योगों के विकास के लिये उड़ीसा राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी जा चुकी है ; और

(ख) किन संस्थाओं द्वारा यह आर्थिक सहायता दी जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

गुरुद्वारा ननकाना साहिब

*६६१. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को क्या उन कार्यवाहियों की कोई सूचना है जो पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब के बाग की हिफाजत के लिये की हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): भारत सरकार के पास यह सूचना पहुंची है कि पहले इस बाग की देखरेख प्रत्यक्ष रूप से पंजाब (पाकिस्तान) सरकार के कृषि-विभाग द्वारा होती थी । यह बतलाया जाता है कि चूंकि वह विभाग इस बाग की देख भाल नहीं कर सका, अत: पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने उसे पट्टे पर देने का निश्चय किया । यों तो, पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त बाग को तो केवल पट्टे पर दिया गया है, किसी पुन: व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत आवंटित नहीं किया गया है ।

अजमेर का गोटा उद्योग

*६६२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अजमेर का गोटा उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग है ; और

(ख) उस उद्योग की रक्षा करने तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) । खेद है कि मैं इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दे सकता ।

खादी के लिए सहायक अनुदान

*६६३. **श्री राम दास:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) उन राज्यों के नाम जो सहायक अनुदान के लिए अखिल भारतीय बुनकर संघ द्वारा, चुने गए हैं, जिसको खादी बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा नौ लाख रुपए का एक अनुदान और तीस लाख रुपए का एक ऋण दिए जाने की सिफारिश की है ;

(ख) इन सहायताओं के प्रयोजन ; और

(ग) परिणाम जिनकी आशा की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अखिल भारतीय बुनकर संघ द्वारा लिया गया ९ लाख रुपये का अनुदान और १० लाख रुपये का एक ऋण, उस संगठन द्वारा उन संस्थाओं को बांट दिया गया था जो उससे संबद्ध हैं । विशेष रूप से चुने गए राज्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) प्रश्न से संबंधित अनुदान और ऋण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्वीकार किए गए थे :——

४ लाख रुपयों का अनुदान

(१) प्रत्येक केन्द्र को रुई धुनने, कातने और बुनने के लिए मज़दूरियों पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अधिक से अधिक २००० रूपए की उत्पादन सहायता के लिए ;

(२) प्रत्येक केन्द्र को सवा छः प्रति शत की दर से अधिक से अधिक २००० रुपए की पणन-सहायता के लिए ;

(३) प्रत्येक केन्द्र को ८ आने प्रतिगज के हिसाब से अधिक से अधिक १००० रुपए कपड़े के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए ;

(४) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र को वेतन और प्रतिष्ठान का मूल्य देने के लिए अधिक से अधिक १००० रुपए का भुगतान करने के लिए । ५ लाख रुपयों का अनुदान तीन आने प्रति रुपया जो प्रबंध संबंधी व्यय है, की दर से खादी की बिक्री पर सहायता के भुगतान के लिए ।

१० लाख रुपयों का ऋण १९५३-५४ में उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए रूई के मौसम में रूई खरीदने के लिए ।

(ग) अखिल भारतीय बुनकर संघ को दिए गए अनुदान की सहायता से खादी का भाव कम हो गया है और इस प्रकार संचित स्टाकों के निकास में सहायता मिली है । ऋण ने संस्थाओं को खादी का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी है । अतः की गई कार्यवाही से कुछ हद तक ग्रामीण बेकारी कम हो गई है ।

श्रेणीबद्ध सूचियां

६६४. **श्री अजित सिंह:** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ८ मई १९५३ को, पहली जनवरी १९५३ तक संशोधित केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के गज़टेड और नान-गज़टेड कर्मचारियों की श्रेणीबद्ध सूचियों संबंधी, अतारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अब वे सूचियां तैयार करके छाप ली गई ह ;

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या उनको सरकार सदन पटल पर रखने का विचार करती है ; और

(ग) यदि नहीं तो, इनके छपने की और सदन पटल पर रखे जाने की कब तक आशा की जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग)। मैं पहली जनवरी, १९५३ की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के गज़टेड तथा नान-गज़टेड कर्मचारियों की श्रेणीबद्ध सूचियों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रख रहा हूं । प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गई है । [देखिये संख्या एस–११२।५३]

मध्य भारत के लिए विकास क्षेत्र

*६६५. **श्री राघे लाल व्यास**: (क) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा के आधीन मध्य भारत को कितने विकास क्षेत्र दिए गए हैं ?

(ख) यदि कोई क्षेत्र नहीं दिया गया है, तो उसके कारण क्या हैं ?

(ग) गत अक्टूबर से आरम्भ होने वाले तीन बांटों में मध्य-भारत को कितने क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया था ?

(घ) मध्य भारत सरकार द्वारा कितने स्वीकार किए गए थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ)। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर १९५२-५३ और १९५३-५४ में सात सामुदायिक परियोजना विकास क्षेत्र दिए गए हैं ।

खादी और ग्राम उद्योग

*६६६. **श्री नदल प्रभाकर**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल ने १९५३-५४ के लिए नवीन योजना की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में चर्म उद्योग के विकास का कार्यक्रम भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) हां ।

(ग) १,४९,४०० रुपए (१,०१,६०० रुपए के एक ऋण के सहित) ।

राजस्थान में चूने का पत्थर

*६६७. **श्री बलवन्त सिंह महता**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास बहुत अच्छी किस्म का सीमेन्ट के काम का चूने का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो वह किस परिमाप में पाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमान है कि संचित मात्राएं लगभग २८३० लाख टन हैं ।

दावों का प्रमाणीकरण

*६६८. **बाबू रामनारायण सिंह**: क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के दावों के प्रमाणीकरण संबंधी सारे मामलों का निर्णय कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक निर्णित मामलों का प्रतिशत ;

(ग) क्या ऊपर के भाग (ख) में उल्लिखित निर्णयों की प्रतिलिपियां संबंधित व्यक्तियों को दी गई हैं ;

(घ) यदि ऐसा है, तो इस कार्यवाही में आमतौर से लगने वाला समय ; और

(ङ) क्या सरकार को, दावों के प्रमाणीकरण और निर्णयों की प्रतिलिपियां पाने में विलम्ब का ज्ञान है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) । एक प्रतिशत से कम को छोड़कर, सारे दावों का प्रमाणीकरण कर दिया गया है ।

(ग) हां ।

(घ) उन दावेदारों को जिन्होंने संबंधित दावा-अधिकारियों/आयुक्तों के पास आदेश जारी किये जाने के समय प्रतिलिपियों के लिए आवेदन पत्र दिए थे, उन्हें, आमतौर पर आवेदन पत्र की तिथि पर अथवा उसके बाद थोड़े दिनों के अन्दर, प्रतिलिपियां दे दी गई थीं । उन दावेदारों ने जो दावा अधिकारियों/आयुक्तों से प्रतिलिपियां नहीं पा सके, कुछ विलम्ब अनुभव किया ।

(ङ) जैसी कि ऊपर व्याख्या की जा चुकी है, प्रमाणीकरण १७ मई, १९५३ को लगभग पूरा हो गया था, जब कि विस्थापित व्यक्तियों का (दावा) अधिनियम समाप्त हुआ था । जब तक कि नई विधि नहीं बन जाती, अप्रमाणित दावों की एक थोड़ी संख्या को निलम्बित रहना पड़ेगा । इस विषय की व्याख्या २७ मई १९५३ के प्रेसनोट में की गई थी—एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी गई है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४] निर्णयों की प्रतिलिपि संबंधि स्थिति भाग (घ) के उत्तर में बताई गई है ।

कोरिया के लिए भारतीय अग्रिमदल

*६६९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में भारतीयों का एक दल कोरिया के लिए रवाना हो चुका है ;

(ख) इस अग्रिम दल को भेजने का प्रयोजन क्या है ; और

(ग) इस दल में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) हां ।

(ख) भारत सरकार ने अपने ऊपर युद्धबंदियों के करार द्वारा लादे गए उत्तरदायित्वों को उचित रूप से निबाहने के लिए तैयारियों को पूरा करने के हेतु एक छोटा सा अग्रिम दल कोरिया में घटनास्थल पर संयुक्तराष्ट्रों, उत्तर कोरियाई और चीनी कमांडों की सलाह से परिस्थिति का अध्ययन करने और ठीक ठीक आवश्यकताओं की गणना करने के लिए भेजा है ।

(ग) दल में १२ व्यक्ति हैं जिन में वैदेशिक सचिव श्री आर० के० नेहरू, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के फोर्स कमांडर मेजर जनरल एस० पी० पी० थोराट, और भारतीय रेड क्रास संस्था के महासचिव, श्री बलवंत सिंह पुरी हैं ।

मलाबार तट पर समुद्र से भूमि का कटना

*६७०. **श्री ए० के० गोपालन:** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि मलाबार तथा त्रावणकोर-कोचीन के तट पर समुद्र से काफ़ी भूमि कट रही है ?

(ख) क्या सम्बन्धित राज्यों ने इसे रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है अथवा देने का विचार करती है ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) । त्रावणकोर-कोचीन के किनारे पर कोचीन के निकट समुद्र से भूमि कटने के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने भारत सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है और यह प्रार्थना विचाराधीन है । मद्रास सरकार जो कि मलाबार में तट के बचाव के लिए उत्तरदायी है उसने भारत सरकार से कुछ नहीं मांगा है ।

चम्बल परियोजना के लिए प्रावैधिक सहायता

*६७१. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अनुपूरक भारत अमरीकी प्रावैधिक सहयोग समझौते के अन्तर्गत चम्बल परियोजना के लिए कोई प्रावैधिक सहायाता दी गई है ?

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

(ग) इसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

(घ) वे कब से प्रारम्भ होंगे ?

(ङ) क्या श्रम प्रशिक्षण के लिए भी कोई प्रबन्ध है ?

(च) यदि हां, तो वह किस प्रकार का प्रशिक्षण होगा ?

(छ) उन प्रशिक्षकों की आवश्यक योग्यता क्या होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (छ) । समझौते की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]

नन्दीकोंडा परियोजना

*६७२. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किस्तना नदी पर नन्दीकोंडा परियोजना के दाहिनी ओर की नहर सम्बन्धी खोज का काम पूरा हो गया है ?

(ख) किस्तना नदी पर योजना सम्बन्धी खोज किस स्थिति में है ?

(ग) क्या इस खोज का प्रतिवेदन छपवाने का विचार सरकार रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) खोज का काम अभी जारी है ।

(ख) भारत सरकार इस सम्बन्ध में हैदराबाद तथा मद्रास सरकार से लिखापढ़ी कर रही है और यथा समय पर प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायगा ।

(ग) जब खोज कार्य पूरे हो जायेंगे तो सरकार इस सुझाव का ध्यान रखेगी ।

उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन

*६७३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन के सम्बन्ध में कोई प्रशासनीय परिवर्तन करने का विचार किया गया है यदि हां तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क विकास तथा अच्छे प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस क्षेत्र को भूतकाल में एक प्रकार से भुला दिया गया था तथा संचार के साधन बहुत ही कम हैं । इस क्षेत्र का महत्व भी अब हाल में बढ़ गया है । सरकार की यह नीति भी बन गई है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाय तथा

कबाइली लोगों की योग्यता के अनुसार उनके विकास तथा उन्नति के लिये उन्हें सहायता भी दी जाय कबाइली लोगों को प्रशासन तथा सामाजिक सेवाओं में लाने का विचार भी सरकार कर रही है ।

(२) वैधानिक स्थिति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। तारांकित प्रश्न १६९१ के उत्तर में जो कि ११ जुलाई १९५२ को पूछा गया था, सदन में प्रधान मंत्री नें बता दिया था कि स्थिति क्या थी। उत्तर में आज की स्थिति का तथा जिसकी कल्पना की गई थी, उसका वास्तविक हवाला है ।

पेट्रोलियम

*३३८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में कितना पेट्रोल तथा पेट्रोलियम से बनने वाली चीजें तथा कितने मूल्य की भारतवर्ष में आई हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): निकटतम मात्रा तथा मूल्य निम्न प्रकार से हैं :

	मात्रा (गेलन में)	मूल्य (रुपयों में)
मोटर स्पिरट (हवाई जहाज़ों में काम आने वाली स्पिरट सहित)	२४ करोड़ और ३४ लाख	२५ करोड़ और १७ लाख
मिट्टी का तेल	२६ करोड़ और ४८ लाख	२१ करोड़ और ६९ लाख
जलाने वाले तेल	३१ करोड़ और ९५ लाख	१५ करोड़
जूट सम्बन्धित तेल	२ करोड़ और १३ लाख	१ करोड़ और ९ लाख

रंग रोगन उद्योग

३३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में रंग रोगन निर्माण उद्योगों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

(ख) क्या विदेशी पूंजी का भी इसमें कोई भाग है ?

(ग) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक उद्योग का सम्पूर्ण मजदूरी चिट्ठा कितना है ?

(घ) इस बीच में कुल कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को प्राप्यसूचना के अनुसार उद्योग की महत्वपूर्ण इकाइयों द्वारा लगाई गई पूंजी ३०० लाख रुपया है।

(ख) इस उद्योग में लगी हुई विदेशी पूंजी लगभग ११२ लाख है ।

(ग) तथा (घ) । सूचना प्राप्त नहीं है।

दियासलाई के कारखाने

३४०. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतवर्ष में दियासलाई उत्पादन

के लिए मशीनों से चलाए जाने वाले कितने कारखाने हैं ?

(ख) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक इन कारखानों में कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

(ग) इन कारखानों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

(घ) विदेशी अभिकरणों ने कितनी पूंजी लगाई है ?

(ङ) कुल कितने कर्मचारी इन कारखानों में काम करते हैं ?

(च) वर्ष १९४७-४८ से ११९५२-५३ तक कुल मजदूरी का चिट्ठा कितनी धन राशि का है ?

(छ) उपरोक्त काल में इन कारखानों में कुल कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यंत्रीकरण का स्तर विभिन्न कारखानों के हिसाब से बदलता रहता है। मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का अभिप्राय किस प्रकार के कारखाने से है। दियासलाई आठ के कारखानों को 'क' श्रेणी में पंजीबद्ध किया गया है अर्थात् इस श्रेणी में वे कारखाने हैं जिनका उत्पादन प्रतिवर्ष ५ लाख ग्रुस दियासलाई से ऊपर होता है। इन कारखानों को पूर्णतया यंत्रीकरण इकाई समझना चाहिए।

(ख) से (घ)। उपरोक्त कही गई 'क' श्रेणी के ८ कारखानों से सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धी सूचना सदन पटल पर रखी हुई है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]

(ङ) से (छ)। जानकारी प्राप्य नहीं है।

उद्योगों में लगी हुई पूंजी

३४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कृपा करके निम्नांकित जानकारी सम्बन्धी विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे :

(क) अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

(ख) विदेशी पूंजी की कितनी धन-राशि लगी है ?

(ग) वर्ष १९४७–४८ से १९५२–५३ तक वार्षिक उत्पादन कितना रहा ?

(घ) उपरोक्त काल में कुल मजदूरी का चिट्ठा कितनी धनराशि का है ?

(ङ) निम्न उद्योगों में उपरोक्त काल में कुल कितना लाभ हुआ —

(१) सलफ्यूरिक एसिड
(२) कास्टिक सोडा
(३) सोडा एश
(४) तरल क्लोरीन
(५) ब्लीचिंग पाउडर
(६) बाइक्रोमेट्स
(७) कापर सलफेट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। प्राप्त जानकारी से सम्बन्धित विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]

(घ) तथा (ङ)। जानकारी प्राप्य नहीं है।

विद्युत उद्योग में लगी हुई पूंजी

३४२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में विद्युत उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी है ?

(ख) वार्षिक सम्पूर्ण

(१) मज़दूरी चिट्ठा ;

(२) वर्ष १९४७-४८ से १९५२-५३ तक इस उद्योग का वार्षिक लाभ ?

(ग) उपरोक्त काल में कुल कितने कर्मचारी इस उद्योग में लगे हुए थे ?

(घ) कर्मचारियों की औसतन मासिक आय क्या है ?

(ङ) इस उद्योग में विदेशी पूंजी यदि कोई लगी है, तो वह कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ङ)। इन विद्युत उद्योगों में जो कि उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत पंजीवद्ध है उनमें सम्पूर्ण पूंजी लगभग १८·३१ करोड़ तथा विदेशी पूंजी लगभग ४·७७ करोड़ लगी हुई है। अन्यों के बारे में जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख–१), (ग) तथा (घ)। संसद पटल पर विवरण रखा हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख—२) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

मछली के तेल

३४३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९४७-४८ से १९५१-५२ तक कुल कितनी मात्रा में मछली के तेल तैयार किये गये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में भारत में कितनी मात्रा में मछली के तेलों का आयात किया गया; और

(ग) भारत में प्रति वर्ष मछली के तेलों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५०, १९५१ और १९५२ इन तीन वर्षों में ४०,६२९ गैलन शार्क मछली के जिगर का तेल निकाला गया। इस से पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) एक विवरण जिस में यह जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जता है : **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) प्रति वर्ष मोटे रूप में १ लाख गैलन की आवश्यकता होती है।

मिस्र से व्यापार

३४५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत ने १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में मिस्र को कितने मूल्य के निर्यात किये; और

(ख) उक्त अवधि में भारत ने मिस्र से कितने मूल्य के आयात किये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

जालन्धर रेडियो स्टेशन के लिये ग्राम्य मंत्रणा समिति

*३४६. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जालंधर रेडियो स्टेशन के लिये एक ग्राम्य मंत्रणा समिति बनाई गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र के लिये यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र एक ग्राम्य मन्त्रणा समिति स्थापित करने के लिये कार्यवाही की गई है।

हैदराबाद राज्य में निर्मित एसबस्टस

३४७. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार अपने आन्तरिक उपयोग के लिये हैदराबाद राज्य में निर्मित कितने प्रतिशत एसबस्टस की चादरें खरीदती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुआगोहिन) : हैदराबाद राज्य में मैसर्स हैदराबाद एसबस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद नामक केवल एक ही समवाय है, जो कि एसबस्टस सीमेंट की चादरें बनाते हैं । इस समवाय के साथ १ जून, १९५३ से ३० अप्रैल १९५४ तक की अवधि के लिये एसबस्टस सीमेंट की चादरों के सम्भरण के लिये भाव का ठेका किया गया है : मंगाने वाले पदाधिकारी समवाय से सीधा माल मंगवायेंगे । इस समय इस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वस्तुतः इस की कितनी मात्रा ली जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास की यूनियन बोर्ड की योजना

३४८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या पुनर्वास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल में आज तक यूनियन बोर्ड की योजना के अनुसार कितने परिवारों को फिर से बसाया गया है ;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों में किसानों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं;

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन में पुनःसंस्थापन के लिये बड़े बड़े भूखण्ड उपलब्ध थे;

(घ) क्या इस समय इस यूनियन बोर्ड योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो और किन किन जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है ?

प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ६,२६६ परिवार ।

(ख) किसान ४,३७२ परिवार
अकृषक १,८९४ परिवार

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस योजना के अधीन प्रत्येक यूनियन बोर्ड ने केवल ऐसे थोड़े से परिवारों को ही सम्भाला था जो कि गांव की स्थानीय अर्थ व्यवस्था में खप सकते थे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

शर्बत, चटनियां और अचार-मुरब्बे (निर्यात और आयात)

३४९. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५२-५३ में कितने मूल्य के शर्बत, चटनियां और अचार-मुरब्बे तैयार किये गये, आयात और निर्यात किये गये;

(ख) सामान्यतया इन का किन देशों से आयात किया जाता है;

(ग) क्या इन पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार है; और

(घ) १९५२-५३ म कितने मूल्य की इन वस्तुओं का भारत से स्टर्लिंग और डालर क्षेत्रों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (घ)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(ख) ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया ।

(ग) इस समय भविष्य की नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया जा सकता। यह तो उस समय की स्थिति पर निर्भर होगी ।

डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों से आयात

३५०. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से जून, १९५३ के अन्त तक डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों से अलग अलग भारत में आयात की गई विभिन्न वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था ?

(ख) ये आंकड़े गत वर्ष इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे उतरते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२**]

नकली रेशम का आयात

३५१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग :

(क) क्या सरकार ने जुलाई-दिसम्बर, १९५३ की अवधि में नकली रेशम के आयात में पर्याप्त कमी करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या सरकार को नकली रेशम का माल तैयार करने वाले इस के उपभोक्ताओं से इस विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन के अभ्यंश में कोई कमी करने से उन के उद्योग को हानि पहुंचेगी और बहुत से काम करने वाले व्यक्ति बेकार हो जायेंगे;

(ग) इस समय देश में कुल कितने नकली रेशम की आवश्यकता होती है;

(घ) कुल कितना नकली रेशम देश में तैयार होता है ;

(ङ) १९४८ से १९५२ तक प्रति वर्ष कुल कितना नकली रेशम भारत में आयात किया गया; और

(च) १९५३ में कुल कितने नकली रेशम का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् । इस के विपरीत आयात को बढ़ा दिया गया है।

(ख) सरकार को नकली रेशम के धागे का अभ्यंश बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) लगभग ४ करोड़

(घ) लगभग १ करोड़ पौण्ड ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ५३**]

(च) विश्व के बाजारों में मूल्यों के घटने बढ़ने के कारण इस व्यवस्था के अन्तर्गत १९५३ में कितने नकली रेशम के धागे का आयात किये जाने की सम्भावना है इस का निश्चय नहीं किया जा सकता। किन्तु यह आशा है कि १९५३ में लगभग ७ करोड़ रुपये के नकली रेशम का आयात किया जायेगा ।

संरक्षित उद्योग

३५२. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उन के मंत्रालय ने सरकार द्वारा संरक्षित उद्योगों के विरुद्ध की गई शिकायतों की शीघ्रता से जांच करने के लिये एक नया स्वतन्त्र शाखा कार्यालय खोला है ?

(ख) इस कार्यालय का प्रभारी अधिकारी कौन होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । इस प्रयोजन के लिये कोई अलग शाखा कार्यालय नहीं खोला गया है । मंत्रालय की एक शाखा द्वारा ही इस काम की देख भाल की जाती है ।

चाय

३५३. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ तथा अप्रैल १९५३ से जून १९५३ तक की अवधि में भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को कितनी चाय भेजी गई और उस का कितना मूल्य था;

(ख) इस अविध में दूसरे देशों को कितने कीमत की चाय निर्यात की गई; और

(ग) १९५१-५२ की तुलना में १९५२-५३ में भारत को हानि हुई अथवा लाभ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) १९५१-५२ के निर्यातों के मल्य की तुलना में १९५२-५३ में चाय के निर्यातों के कुल मूल्य में १२,८७, ८९, २२७ रुपये की कमी हुई ।

नमक

३५४. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में सांभर झील का कितना साफ किया गया तथा कितना बिना साफ किया गया नमक बेचा गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सांभर स्थित सरकारी नमक-निर्माणशाला में कोई नमक शोधक कारखाना नहीं है । अतः वहां से केवल अशोधित नमक ही आता है। १९५२ में वहां से आये ऐसे नमक की सम्पूर्ण मात्रा ७५.४४ लाख मन थी । इस मात्रा में से १.८६ लाख मन नमक दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पैप्सू आदि में कुछ निजी नमक शोधक कारखानों को भेजा गया । इन्हों ने अपनी इच्छा से शोधित नमक बनाने के लिये इस नमक मात्रा का क्रय किया था ।

सुपारी

३५५. **डा० रामसुभग सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले दो वर्षों में कितनी सुपारी का आयात हुआ;

(ख) सबसे अधिक आयात किस देश से हुआ; और

(ग) भारत में सुपारी की कुल खपत का कितनां भाग विदेशों से आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) १९५१-५२ १,०१३,१४१ हन्डरेड वेट्स

१९५२-५३ ७४९,४९१ "

(ख) सिंगापुर ।

(ग) लगभग ३३ प्रतिशत ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

३५६. **श्री एस० एन० दास**: **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में नई दिल्ली में रिक्त क्वार्टरों के छटवें भाग में से, जो उन के लिये रक्षित हैं, कितने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये;

(ख) विभिन्न श्रेणी के क्वार्टर के लिए ऐसे कितने सरकारी कर्मचारियों के नाम अभी तक नामावली में हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार रिक्त क्वार्टरों के छटवें भाग के क्वार्टरों को विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को देने के सम्बन्धी आदेशों की अवधि कुछ समय के लिये बढ़ाने का है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १-११-१९५२ से, जब यह रियायत लागू हुई, मार्च १९५३ के अन्त तक संख्या १३४ थी ।

(ख)	श्रेणी सी.१	१
	श्रेणी सी २	५
	श्रेणी डी १	८
	श्रेणी डी २	१३
	श्रेणी ई	११४
	श्रेणी एफ	२००
	श्रेणी जी	४९०
	योग	८३१

(ग) नहीं ।

(घ) यह महसूस किया जाता है कि रियायत के औचित्य की पुष्टि करने वाले कारण अब नहीं रहे और विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को सामान्य समुदाय की तरह ही अपनी बारी लेनी चाहिये ।

सन की रस्सी के टुकड़े

३५७. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन को सन की पुरानी रस्सी के टूकड़े भेजे जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अधिकतर अमरीका, कनाडा जापान, ब्रिटेन, फ्रांस तथा बेलजियम को भेजे जाते हैं ।

कानून द्वारा बनाई गई वस्तु-संस्थायें

३५८. **प्रो० मैथ्यू** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन के मन्त्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यस्था करने के लिये कौन कौन कानून द्वारा बनाई गई वस्तु संस्थायें है :

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली मुफ्त चिकित्सा की सुविधा;

(२) केन्द्र सरकार द्वारा अपने केवल कुछ कर्मचारियों को दी जाने वाली मुफ्त चिकित्सा की सुविधा;

(३) केन्द्रीय सरकार के चपरासियों का वेतन; तथा

(४) केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार स्वछन्द पद-अवनति तथा काम से हटाने के विरुद्ध कर्मचारियों के अवधिकाल का संरक्षण ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (१) से (४) तक। सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेगी ।

कपड़ा-उत्पादन

३५९. **डा० जे० एन० पारिख** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कपड़ा-उत्पादन में, राज्यानुसार, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) कपड़ा-उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विदेशी बाजारों में, भारतीय कपड़े स्थिति क्या है; तथा

(घ) कपड़ा-निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ख) जनवरी से जुलाई १९५३ तक मिल उद्योगों ने कुल २८,८८० लाख गज़ कपड़ का उत्पादन किया।

(ग) तथा (घ) हमें विदेशी बाजारों में बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। अपने निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) कपड़े का निर्यात स्वतन्त्र रूप से करने की अनुमति है।

(२) मोटे तथा माध्यम श्रेणी के कपड़े के निर्यात पर शुल्क मूल्यानुसार २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दी गई है।

(३) निर्यात होने वाले कपड़े पर एक पैसा प्रति गज का उपकर नहीं लिया जाता जो खादी तथा अन्य हाथ करघा उद्योग विकास (कपड़े पर अधिक उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत कपड़ा उत्पादन पर लिया जाता है।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
१९ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १९ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

आन्ध्र राज्य विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर अब अग्रेतर वाद-विवाद जारी रहेगा :

> "कि आंध्र राज्य की स्थापना करने, मसूर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने और मद्रास राज्य के क्षेत्र को घटाने, और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस पर डा० लंका सुन्दरम् द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन भी है ।

अब भी शिवमूर्ति स्वामी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं माननीय आन्ध्र जनता को हार्दिक वन्दन अर्पित करता हूं और उस हस्ती को अपने दिल से इज्जत पेश करता हूं जिसने अपने जन्म त्याग से इस आन्ध्र बिल का इस सदन में आना सम्भव बनाया है और आम तौर पर लिंग्विस्टिक प्राविंसेज का दरवाज़ा खोला है । श्री रामुलू के बलिदान से जनता के दिल में जो बलबले उठ उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी । यही वजह है कि आज इस हाउस में यह आन्ध्र बिल पेश हो रहा है । मैं सोच रहा हूं कि गवर्नमेंट को इस पर किस तरह से बधाई दूं जो कि ताकत से जनता के बलबलों को दबाने में नाकामयाब होकर इस बिल को पेश कर रही है और इस बिल के उसूल को ही खत्म करने के मकसद से आन्ध्र देश में इस बिल के ज़रिये मद्रास के सिर्फ़ एक हिस्से को इनकारपोरेट किया गया है । यह अफ़सोस की बात है और दुःख की बात है। उसूल के मुताबिक हैदराबाद के तैलंगाना हिस्से को भी इसमें मिलाकर पूरा विशाल आन्ध्र बनाना चाहिए था । अगर ऐसा होता तो हम खुशी से इसका स्वागत करते। लेकिन इसको अधूरा रखा गया है और फिर राजधानी को ढूंढा जा रहा है । जब कि हैदराबाद मौजूद है जो कि परमानेंट कैपीटल बन सकता है । वहां के लोगों की यह डिमान्ड है कि हैदराबाद को डिसइंटीग्रेट किया जाय । यह आवाज़ न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है बल्कि

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

दूसरी पार्टियों की तरफ़ से भी यही मांग है और हर पोलीटिकल पार्टी इस में एकमत है कि हैदराबाद को डिसइंटीग्रेट करके पूरा विशाल आन्ध्र बनाया जाय। मैं इस मौके पर सिफ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी कि वह थोड़ा सा हो आन्ध्र का हिस्सा दें। लेकिन फिलहाल जो इस बिल में दिया गया है उसका समर्थन करते हुए, एक दूसरी बात पर जो कि इस बिल में दी गई है मैं गौर करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहस में यह कई बार कहा गया है कि दक्षिण भारत में आन्ध्र स्टेट बनाकर जो यह पहला कदम उठाया जा रहा ह इस मौके पर कर्नाटक और दूसरे प्रान्तों में एक तरह का फीलिंग उठना स्वाभाविक है और हर प्रान्त वाले चाहते हैं कि अपने अपने प्रान्त को बनायें। यह जो दक्षिण भारत में डिमान्ड हो रही है इसको एक दिन गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा और यह देना ही पड़गा। वरना आन्ध्र की ही तरह लोगों में बलबले उठने पर और एक बलवा होने पर जिस तरह यह बिल यहां आया है अगर उसी तरह दूसरे प्रान्तों में भी सत्याग्रह होने पर और दूसरे कांस्टीट्यूशनल तरीकों को अख्तियार करने के बाद अगर ताकत आजमाने पर ही वह बिल यहां आयें तो यह अफसोस की बात होगी। अब कर्नाटक की स्थिति में आपके सामने रखूं। वहां तमाम पार्टी वाले मिलकर अपनी एक ऐक्शन कमेटी बनाकर इस बात पर तुले हुए हैं कि अगर इस समय पर कर्नाटक प्रान्त न दिया जाय तो आन्दोलन करें।

बार बार यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की यूनिटी को देखा जाय। कोई भी लिंग्विस्टिक प्राविंस की डिमान्ड करने वाले या उनके लिए एजीटेट करने वाले यह नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान की यूनिटी पर किसी तरह से भी असर पड़े। हर एक चाहता ह कि हिन्दुस्तान को मज़बूत से मज़बूत बनाया जाय। जब हम हिन्दुस्तान के तमाम परिवार अपने अपने घर की पोज़ीशन को संभाल कर खश होंगे तो हिन्दुस्तान की यूनिटी कैसे अधूरी रह सकती है। हिन्दुस्तान में जो मुख्तलिफ कल्चर वाले लोग हैं उनके जब होमोजीनियस (एकसम) स्टेट बन जायेंगे और डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पर जो पहले दो दो, तीन तीन भाषा वाले स्टेट बनाये गये थे वह खत्म हो जायेंगे तो हिन्दुस्तान का अभ्युदय होगा। अब अगर आन्ध्र वाले अपना प्रान्त बनावें या कर्नाटक वाले अपना प्रान्त बनावें तो कोई बात नहीं कि इससे भारतवर्ष का अभ्युदय न हो। जो लोग कि लिंग्विस्टिक प्राविंसेज़ के ऐंडवोकेट हैं उनके दिल में किसी किस्म की यह ख्वाहिश नहीं है कि कोई भी चीज़ ज़रा बराबर भी हिन्दुस्तान के खिलाफ हो। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो दक्षिण भारत में एक द्राविडिस्थान की आवाज़ उठेगी जो कि हमारे नैशनिलिज्म के खिलाफ है। आपको इसको दबाना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब कि लिंग्विस्टिक प्राविंसेज़ बना दिये जायें। आप अपनी ही रिकमेंडेशन को देखें। मैं यहां एक कोटेशन धार कमीशन का देता हूं और फिर उसके बाद इस बिल पर आता हूं।

> "दो भाषावार प्रान्तों, कर्नाटक तथा केरल का प्रतिनिधित्व 'अप्रभावी अल्पसंख्यकों' द्वारा होने के कारण उनके विकास में निस्संदेह बाधा पड़ी है। यदि उनकी सरकारें बन जायें तो वे अवश्य ही समृद्ध होंगे। आन्ध्र, मध्य प्रदेश

तथा महाराष्ट्र के मामले अधिक उलझे हुए हैं और उनमें राजनैतिक झगड़े अंतर्ग्रस्त हैं।"

तो कर्नाटक सबसे आसानी से बनने वाला प्रान्त है। और मुझे खुशी होगी कि आन्ध्र के बनने के बाद कम से कम इसका जवाब देते वक्त गवर्नमेंट इसके लिए केटागारीकल ऐश्योरेंस (निश्चित आश्वासन) दे। मैं इसकी गवर्नमेंट से आशा करता हूं। स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) में जो आन्ध्र बिल में दिया गया है लिंग्विस्टिक का लफ्ज़ नहीं है और न इसका प्रोग्राम है। अगर इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम न बनाया और ऐश्योरेंस न दिया तो प्रान्तों में जो इसके लिए आवाज़ उठेगी उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और न कोई ताकत उन लोगों के दिलों में शान्ति पैदा कर सकती है।

इसके बाद मैं बिल पर अपने ख्यालात पेश करूंगा। बलारी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उसको दुहराना नहीं चाहता। लेकिन उसका जहां तक ताल्लुक कन्नड़ प्रान्त से है उसके बारे में दो चार लफ्ज़ कहना चाहता हूं। यह बात नामुमकिन नहीं है कि इस पर हम और आन्ध्र वाले आपस में बैठकर फैसला कर लें। आपस में लड़ने से और एक दूसरे के खिलाफ मोटिव लगाने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हम खुद इसका फैसला न कर सकें ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि :

"अविवादास्प्रद तेलुगु क्षेत्रों से आन्ध्र राज्य का निर्माण होना चाहिए।"

मैं ने जो पिटीशन दी है वह तमाम मेम्बरों में सरकुलेट की गई है। उसमें भी यह दिखाया गया है कि एलर में ९४ गांव हैं जिनमें से ५१ कन्नड़ गांव हैं। यह मैं १९३१ की सेन्सस (जनगणना) के आधार पर बोल रहा हूं। अडूनी में १७८ गांव हैं उनमें ३८ कन्नड़ गांव हैं और रायचूर में ८५ गांव हैं उनमें ५२ कन्नड़ गांव हैं और यह सारे बार्डर के पास हैं और मिलाये जा सकते हैं। जैसे इस अनन्तपुर में मुडकासिरा तालुक है और इस का मैं एक सबूत और देता है। शुरू में जब डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया करनाटक के बारे में एक मैमोरैंडम वाइसराय विलिंडन को पेश कर रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि "बेलारी दक्षिण कन्नड़ (मंगलौर) और नीलगिरी जिलों और मडकसोरा (अनन्तपुर जिला), कोलेगल (कोयम्बटूर जिला) और होसूर तथा कृष्णगिरि (सलेम जिला) इन तालुकों और मद्रास प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के कुछ गांवों को मिला कर कर्नाटक राज्य बनना चाहिये।"

यह डा० पट्टाभि सीतारमैया ने जब वे वाइसराय विलिंडन को मैमोरैंडम पेश कर रहे थे उस वक्त खुद अपने दस्तखत से दिया है।

यहां पर जो डिप्टी होम मिनिस्टर दातार साहब हैं, उन्होंने भी एक मैमोरैंडम देते वक्त कहा है :

"दोनों माननीय सदस्यों को तत्काल सीमा आयोग बनाने की सिफारिश करनी चाहिये कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस समिति की प्रार्थना है कि उक्त कन्नड़ क्षेत्रों को आन्ध्र प्रांत से अलग रखने की सिफारिश की जाय।"

इतना कहने के बाद मैं अब यह कह कर अपना भाषण खत्म करता हूं, इस से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ११ मिनट ले चुके हैं। हम यहां कर्नाटक पर बहस भी नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : तो मुझे केवल इतना कहना है कि हर एक विषय के लिए बाउंडरी कमीशन जल्दी से जल्दी बिठाया जाय और जो कुछ मैसूर से मिलाना है वह मिलाया जाय और जो कुछ आन्ध्र को देना है वह उस को दिया जाय। हमें इस के बारे में खुशी है और मैं इस बिल को पुरज़ोर ताईद करता हूं।

श्री मात्तन (तिरूवल्ला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में जितना भी आन्दोलन चला वह राजनीतिक दलों ने अपने लाभ के लिए चलाया था। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि मद्रास का तामिल मंत्रिमण्डल आन्ध्र लोगों का शोषण करता रहा है। परन्तु मद्रास के प्रस्तुत मुख्य मंत्री के अतिरिक्त सभी मुख्य मंत्री आन्ध्र थे। यदि लोग इस मांग के पीछे होते तो क्या नई राजधानी मंत्रिमण्डल या नेतागिरी के सम्बन्ध में इतने मतभेद होते ? राजा जी ने कहा था कि भाषावार प्रांतों की मांग जनजातियों की विचारधारा जैसी है। यह तो वास्तव में कुलतंत्र की विचार धारा है जो राजनीतिज्ञों के एक कुलतंत्र ने प्रारम्भ की है। (**अन्तर्बाधा**) मैं तामिल नहीं हूं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : हमारे महान नेताओं के सम्बन्ध में यह बड़ी कटाक्षभरी बात है।

श्री मात्तन : मैं इस सम्बन्ध में जो महसूस करता हूं सो मैंने कह दिया है। यदि इससे मेरे माननीय मित्र को दुःख पहुंचा है तो मुझे खेद है।

मैंने इस पहलू की ओर इसलिए संकेत किया है कि खतरा इस बात का है कि वाद प्रतिवाद तथा आन्दोलन प्रारम्भ करने वाले इन बातों में कहीं इतना न फंस जांय कि प्रशासन में बिल्कुल ही प्रगति न हो सके। अब तो खैर पुरानी बातों की चर्चा करने का लाभ ही नहीं। नए राज्य की घोषणा की जा चुकी है। मैंने उस समय ही इस के औचित्य पर सन्देह किया था। परन्तु अब जब कि स्थिति ही बदल चुकी है मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और तीन ठोस सुझाव रखना चाहता हूं।

सब से पहली बात यह है कि नए आंध्र की जनता की और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया राज्य कहीं राजनीतिज्ञों का अखाड़ा न बन जाय। चाहे मुख्य मंत्री कोई बने, गरीब जनता के हितों की ओर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि नए राज्य में कार्यक्षम जिम्मेदार तथा स्थायी मंत्रिमण्डल न बना तो आन्ध्र की जनता के प्रति भारत सरकार की जिम्मेदारी उसे वहां राष्ट्रपति का राज स्थापित करने पर विवश कर देगी।

दूसरी बात यह है कि नई सरकार की सफलता, बहुत कुछ स्थायी-असैनिक सेवा के कर्मचारी-वर्ग की योग्यता, ईमानदारी तथा निष्पक्षता पर निर्भर होगी। मद्रास विधान सभा में जो चर्चा हुई है उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारियों के दिल में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं नए राज्य में उनके लिए ठीक ढंग से कार्य करना कठिन न हो जाय। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अधिनियम में

उचित व्यवस्था कर दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सम्बन्ध में मद्रास धारा सभा का सुझाव स्वीकार नहीं किया है । मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि राजा जी की बात मानकर धारा ६१ तथा ६२ में यह उपबन्ध भी करे कि जिन अधिकारियों को उन की इच्छा के विरुद्ध आन्ध्र राज्य में काम पर लगाया जाय उन्हें निर्धारित समय के बाद मद्रास राज्य में लौटने की अनुमति होनी चाहिये । यह न हो सके तो यह उपबन्ध किया जाय कि राष्ट्रपति उन के सेवा सम्बन्धी अधिकारियों की गारंटी दे ।

तीसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आन्ध्र राज्य की स्थापना का मतलब यह नहीं है कि सरकार भाषा के आधार पर देश के बंटवारे के लिए वचनबद्ध हो चकी है । हमें सरदार पटेल के किए कराये पर पानी नहीं फेरना चाहिये । उन्होंने देश को एक तथा संगठित बनाया और भाषावार प्रान्तों के समर्थक चाहे कुछ भी क्यों न कहते रहें, इन प्रान्तों का निर्माण देश की एकता को दुर्बल बनाएगा । ऐसे प्रान्तों के निर्माण के आन्दोलन में हिंसा का प्रयोग हुआ, आमरण हुए और क्या नहीं हुआ ? हमें प्रधान मंत्री के ये शब्द नहीं भूलने चाहियें कि "हमें यह याद रखना है कि यदि भारत उन्नति नहीं करता तो किसी की भी उन्नति नहीं होगी ।"

साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि एक अवस्था में देश तथा जनता का हित इस बात में है कि किसी राज्य विशेष का विभाजन कर दिया जाय तो दूसरी किसी अवस्था में देश तथा जनता का हित किन्हीं दो राज्यों के मिलाने में भी हो सकता है । मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ट्रावनकोर कोचीन को पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि उस राज्य को मद्रास राज्य के साथ मिला दिया जाय । इस से दक्षिण को आर्थिक तथा प्रशासनीय लाभ होगा ।

बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब कि दक्षिण में दो बड़े राज्य होंगे जिन में से एक की राजधानी हैदराबाद होगी और दूसरे की बंगलौर ।

मैं सदन के अधिक समझदार सदस्यों से अपील करता हूं कि वे भाषावार राज्यों के विरोध के लिए एक मोर्चा बनाएं ।

श्री कक्कन (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आन्ध्र देश के कांग्रेसी नेताओं तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं । आन्ध्र राज्य की स्थापना का श्रेय उन्हीं को है । कुछ सदस्यों ने श्री पोट्टी श्री रामुलू की चर्चा की है । उन के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और मैं अपने माननीय मित्रों से कहूंगा कि आन्ध्र देश में शान्ति बनाए रखने के लिए श्री रामुलू का अनुगमन करें ।

मैं तामिल हूं और इस विधेयक के इस उपबन्ध का कड़ा विरोध करता हूं कि भवनों के लिये २३० लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाय । तामिलनाड के लोग यह क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते । यह तो केन्द्र को देनी चाहिये ।

अब मैं चित्तूर की ओर आता हूं । १९११ में उत्तर अर्काटजिले

[श्री कक्कन]

तिरूपात, तिरुतानी, पालावानेरी, कालाहस्ती, पुत्तूर तथा चित्तूर--प्रशासनीय सुविधा के विचार से चित्तूर ज़िले में मिला दिए गए थे। ये छः ताल्लुके तो मद्रास राज्य को अवश्य वापिस मिलने चाहिएं। एक आधुनिक कवि सुब्रामण्य भारती ने अपन एक गीत में कहा है कि तामिलनाड की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है और उत्तरी सीमा तिरूपति। इन दो सीमाओं के बीच में जितना भी क्षेत्र है वह हमें मिलना चाहिए।

मुझे खेद है कि श्री लक्ष्मय्या ने श्री राजगोपालाचारी को दुर्योधन कहा है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर): शायद मेरे मित्र को मालूम नहीं कि श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि आंध्र वाले रावण की तरह हैं जो सीता--उनका तात्पर्य मद्रास नगर से था--को भगाने आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां किसी प्रान्त के मंत्री या राज्यपाल के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री कक्कन: और श्री मुनिस्वामी को यह नहीं कहना चाहिए था कि तामिल बालों को ही यह अधिकार है कि वे राजा जी को दुर्योधन या शकुनी कह सकते हैं।

श्री मुनिस्वामी ने यह भी कहा था कि मद्रास के बाकी राज्य को द्राविड़नाडू या तामिलनाडू कहा जाय। मुझे द्राविड़नाडू शब्द पर बहुत आपत्ति है। द्राविड़नाडू के लिए आन्दोलन करने वालों को तामिल संस्कृति या ईश्वर पर विश्वास नहीं है; वे केन्द्र से अलग होना चाहते हैं, मैं तो मद्रास के बाकी राज्य को सेंतामिज़ नाडू कहूंगा।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां): मुझे जो समय मिला है उस में मैं दो एक ऐसी बातें कहना चाहता हूं जिस पर सदन न अभी विचार नहीं किया है। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भाषावार राज्यों का समर्थक नहीं हूं। मैं ने सदा यह कहा है कि भाषा के आधार पर देश का विभाजन बड़े खतरे की बात है। हमारे देश का इतिहास यह बताता है कि देश का विकास भाषा के आधार पर ही नहीं हुआ है। इतिहास से यह पता चलता है कि भाषा के आधार पर देश के बंटवारे का विचार जात पात के आधार पर उठा है। इसीलिए मैं इस का विरोधी रहा हूं। हमारे देश की संस्कृति का आधार भी जाति ही है।

मैं ने भाषावार राज्यों के समर्थक मित्रों से बहस की है। उन्होंने रूस तथा योरूप के उदाहरण दिए जहां भाषा के आधार पर क्षेत्र विभाजन हुआ परन्तु भारत का इतिहास, उस का सामाजिक तथा आर्थिक विकास भिन्न रहा है। यहां मूल आधार तो जाति का रहा है।

हमारे प्रधान मंत्री भारत में एकता के अभाव का कारण क्षेत्रवाद या साम्प्रदायिकता बताते हैं। मेरे विचार में केवल जात पात ही इसका मूल कारण है। यदि आप इस समय यह बात स्वीकार कर लेंगे तो भारत में लोकतंत्र कभी सम्पूर्ण रूप से नहीं हो सकता।

मैं आन्ध्र राज्य के निर्माण के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि इस का आधार भाषा नहीं है। हमार राष्ट्रीय आन्दोलन म आन्ध्र

वालों ने जो बलिदान किए उन के प्रतिकार के रूप में यह राज्य स्थापित किया जा रहा है। परन्तु यदि यह सोच कि देश का विभाजन भाषा के आधार पर होगा तो वह भारत के लिए शोक का दिन होगा।

श्री मातन ने कहा है कि मेरा राज्य ट्रावन्कोर कोचीन, मद्रास राज्य में मिला दिया जाय। मुझे प्रस्तुत ट्रावन्कोर-कोचीन राज्य से सन्तोष है और मैं ऐसा कोई परिवर्तन नहीं चाहता हूं। यदि ऐक्य केरल राज्य बनाना हो तो तामिल क्षेत्र तामिलनाद को मिल जाने चाहिएं।

मेरा अपना विचार तो यह है कि छोटे छोटे राज्य होने चाहिएं मेरा बस चले तो मैं वर्तमान आन्ध्र के दो भाग कर दू। इस से प्रशासन में सुविधा होगी। मेरा बस चले तो सारे भारत में छोटे छोटे चालीस पचास राज्य बना कर एक संघ बना दू, परन्तु भाषा के आधार पर नहीं।

ट्रावन्कोर कोचीन में, उसे मद्रास राज्य में मिलाने का विचार ज़ोर पकड़ता जा रहा है। परन्तु इस से तो स्थिति और भी उलझ जायेगी, क्योंकि हम दक्षिणी ट्रावन्कोर राज्य को छोड़ना नहीं चाहते। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि ट्रावन्कोर कोचीन के प्रस्तुत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यथासम्भव तामिल लोगों को सन्तुष्ठ रखना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार की रियायतें देनी चाहिएं। इसी प्रकार हम भारत की एकता का विकास कर सकते हैं; अर्थात् अल्पमतों से मैत्री कर के, न कि उन्हें ब' कर

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश): दुर्भाग्यवश, पिछले चार दिन से जो भी विवाद हुये हैं उन में एक दूसरे के प्रति कड़ी आलोचना हुई है। चुनाचे आन्ध्र के सदस्यों ने यह खल आरम्भ किया, और कई और आंध्रवासियों ने उनकी बातों का उत्तर भी दिया। किन्तु आंध्रवासियों ने भावनावधान शब्दों का प्रयोग किया है; किन्तु अच्छा होता यदि उन्होंने भावना को तर्क पर प्रबल नहीं होने दिया होता ताकि उनकी बातों से कुछ लाभ होता। मैं यह भी देखता रहा हूं कि मेरे तामिल भाइयों ने भी आन्ध्रवासियों के लिये बराबर के भावनावधान शब्दों का प्रयोग किया है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): बराबर का जोड़ रहा।

श्री एन० आर० एम० स्वामी: मेरे मान्य मित्र का कहना है कि दोनों बराबर रहे हैं; किन्तु इधर के पिछले दो दिनों में जो भी विवाद हुये उन में आन्ध्र राज्य विधेयक को कतई तौर पर छोड़ दिया गया। माननीय सदस्यों ने भाषावाद को ही उठाया, और यह भाषावाद आचार्य कृपालानी ने शुरू किया। चूनाचे इन्होंने भाषावार प्रांतों की रचना के विरुद्ध बोलना शुरू किया, और इसे श्री गाडगिल का समर्थन प्राप्त हुआ।

आचार्य कृपालानी: खेद है कि मेरे भाषण को गलत समझा गया है। मैं ने कहा था कि भाषावार प्रान्तों की शीघ्र ही स्थापना होनी चाहिये। अब मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं। मैं ने कहा था कि यदि प्रारम्भ में इस बात को विवाद के लिये उठाया नहीं गया होता, तो अधिक अच्छा रहता। चूंकि स बात

[आचार्य कृपालानी]

उठाया गया है, और इस से लोगों की भावनाओं को उकसाया गया है, अतः शीघ्र ही इसका निपटारा होना चाहिये।

श्री एन० आर० एम० स्वामी: मैं ने उनका दृष्टिकोण समझ लिया। उन्हों ने पहले विरोध किया था, और बाद में अपनी बात का संशोधन किया...

आचार्य कृपालानी: पुनः मैं यही कहूंगा कि मैं ने अपना वक्तव्य नहीं बदला। मैं ने उसका स्पष्टीकरण किया।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में वह इसके विरुद्ध थे, किन्तु किसी तरह परिस्थितियों ने इस बात को यहां तक पहुंचाया, अतः इस को रोके रखना वांच्छनीय नहीं है।

श्री एन० आर० एम० स्वामी: इस सदन में भाषावाद पर ही सारा विवाद होता रहा है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह भाषावाद शब्द कहीं भी प्रयोग में नहीं आया। न्यायमूर्ति वांचू तथा मिश्र एवं प्रधान मंत्री की रिपोर्टों में ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत विधेयक को उन्होंने अपने अभिप्रायों को पूरा करने के लिये बनाया है, किन्तु उन्हों ने बड़ी सावधानी से भाषावाद का शब्द दूर रखा है ताकि कहीं भविष्य में इस प्रकार के शब्दों के बनाये जाने की बात से कोई झगड़ा पैदा न हो। वे शायद करना क, तामिल, आन्ध्र, आदि प्रान्तों को बनाना चाहें, किन्तु स्वयं मेरा यह विचार है कि इस प्रकार की नीति से एक प्रकार का द्राविड़ी संघ बन जायेगा। मेरे मान्य मित्रों को इस बात से असंतुष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि इस का ऐसा ही परिणाम होगा। मद्रास का एक खण्ड तथा बेलारी के कुछ तालुक मैसूर को दिये जाने से इस प्रकार की बात हो गई है। भाषावाद का भाव केन्द्रीय सरकार के मष्तिष्क में अवश्य रहा होगा। उन्होंने आन्ध्र से आरम्भ किया है ताकि भविष्य में यदि कन्नड़ राज्य बनाना पड़ा तो उसे भी आसानी से जोड़ा जायेगा। किन्तु यदि ऐसे आपात्काल आये तो एक द्राविड़ी संघ बनेगा, जिससे दक्षिण भारत उत्तर भारत से बिल्कुल अलग हो जायेगा। यदि वे ऐसी बात चाहते हों तो वे अवश्य भाषावार प्रान्त बना लें। तो भाषावार राज्यों के सम्बन्ध में मैं मूलतः इस प्रकार की बात का विरोध करता हूं।

इस प्रसंग में मुझे संयुक्त परिवार की संपत्ति के बटवारे की एक बात याद आ जाती है कि किस तरह छोटी आयु के एक सदस्य ने संपत्ति का दावा किया किन्तु बाद में वह संपत्ति झगड़ने वाली पार्टियों को मिली। इस में बन्दरबांट जैसा बटवारा होगा। अब देखिये कि मैसूर किसी भी राज्य का कोई भी भाग नहीं लेना चाहता था और मैं नहीं जानता कि इस मामले में वह किस तरह इतना भाग्यशाली रहा। और यदि भविष्य में उसने और किसी उद्देश्य से किसी अन्य खण्ड के किसी भाग को अपने साथ मिलाने का दावा किया, जैसा कि कभी कभी बिना जाने हो जाता है, तो कितनी बुरी बात होगी। कितना ही अच्छा होता कि भविष्य में इस प्रकार की बातें नहीं होतीं। उन्होंने मैसूर का एक भाग दिया है, किन्तु यह तामिल एवं आन्ध्रवासियों के बीच की बात थी, क्योंकि उन्होंने ही इसके लिये आन्दोलन किया था। मैसूर वालों को इस में कोई रुचि नहीं थी, हां यदि, वस्तुतः, एक करनाटक प्रान्त बन जाता तो शायद उनकी कोई रुचि होती। कृपया

मुझे और एक-दो मिनट बोलने की आज्ञा दीजिय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को और दो मिनट दे दूंगा ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : हां, अब विधेयक को लीजिये । इसमें सीमा आयोग की स्थापना की बात हो नहीं । उपमंत्री जी ने बतलाया कि इस से चूंकि कठिनाइयां पैदा होंगी अत: इस के उल्लेख की कोई भी आवश्यकता नहीं, और मेरा विचार है कि यदि स्वयं विधेयक में इस बात को भी शामिल किया गया, तो हमारा यह विधेयक प्रभावहीन नहीं होगा । आप को यह भी मालूम होगा कि चित्तूर, तिरतुत्तानी तथा अन्य स्थानों में अशान्ति फैल रही है, और गड़बड़ हो रही है । तो, यदि स्वयं विधेयक में सीमा आयोग की नियुक्ति को उपबन्धित किया गया होता, तो इन विवादास्पद क्षेत्रों को उसे सौंपा जाता । चुनाचे मुझ से पहले बोलने वालों में से श्री कक्कन ने बतलाया कि १९११ से पहले प्रशासकीय इकाइयों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां थीं, और कई आवश्यक भाग चित्तूर जिले से हटाये गये थे और कई उसमें जोड़े गये थे । हां ऐसी बात नहीं कि हम विवादास्पद स्थानों से किसी क्षेत्र पर अपना दावा बढ़ा रहे थे । मैं तो यही बतलाना चाहता था कि इन क्षेत्रों में ऐसे सैंकड़ों देहात होंगे जहां दो बोलियां बोली जाती होंगी । और यदि सीमा आयोग की नियुक्ति का उल्लेख इस में आया होता तो बातें और भी स्पष्ट हो जातीं ।

ऊपरी सदन के सदस्यों की पदावधि के सम्बन्ध में भी कुछ विवादास्पद बातें हैं । किन्तु जब निर्वाचन आयुक्त द्वारा ही ऊपरी सदन के अन्य सदस्यों की पदावधि का निश्चय होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य-परिषद् के सभापति के निर्देशों के अनुसार पदावधि में घटोत्तरी या बढोत्तरी क्यों की जायेगी । मेरा यह मत है कि सभापति को यह काम नहीं सौंपा जाना चाहिये । यह काम निर्वाचन आयुक्त द्वारा होना चाहिये ।

श्रीमान्, विधेयक के खण्ड ४७ और ५१ के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ प्रतिवाद नज़र आते हैं । खण्ड ४७ में बताया गया है कि यदि संपत्ति एवं दायित्वों के बांटे जाने की बात से कोई झगड़ा होगा तो राष्ट्रपति को इस बात का निर्देश किया जायेगा, और उस का निर्णय अन्तिम होगा उसके बाद कोई अपील नहीं होगी । किन्तु खण्ड ५१ में बतलाया गया है कि—"सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद, राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस बात का निश्चय करें..." इस में जो कुछ भी है वह खंड ४७ के विरुद्ध है । अतएव, मैं यह सुझाव देता हूं कि खण्ड ४७ और सातवीं अनसूची को रद्द किया जाय अथवा इस से कठिनाई होगी । मैं इसीलिये इस प्रकार कहना चाहता हूं क्योंकि आप एक स्थिति में राज्यों को बीच में पड़ने का मौका देते हैं और दूसरी स्थिति में आप राष्ट्रपति को ही इस की पूरी स्वतंत्रता देते हैं । मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि इस पहलू पर विचार किया जाय ।

मैं एक और सुझाव भी देना चाहता हूं कि सम्पत्ति एवं दायित्व के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की जाय । मेरा यह भी सुझाव है कि जब समिति नियुक्त की जाय तो कई ऐसे नियम विनियम होने चाहियें जिनके अनुसार पार्टियां अपनी आपत्तियों के स्मृति-पत्र प्रस्तुत कर सकें और उन पर कार्यवाही

[श्री एन० आर० म० स्वामी]

करने के बाद समिति मामले का निश्चय करे और खण्ड ४७ या ५१ के अनुसार कार्यवाही करे। अतः मेरा सुझाव है कि इन खण्डों का उचित संशोधन किया जाना चाहिये। मैं इस विचार का भी समर्थन करता हूं कि इस प्रश्न पर तटस्थ रूप से विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिय। मद्रास, आन्ध्र से एक एक और यदि आप चाहें तो उत्तर भारत से एक और सदस्य लिया जाय ताकि वे कोई हल ढूढ़ सकें।

चुनांचे एक स्थान पर मेरे मान्य मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने बतलाया कि बेजवाड़ा को राजधानी बनाया जाय। पहले मुझे आश्चर्य हुआ कि विशाखापटम् निर्वाचन-क्षेत्र का सदस्य किस तरह ऐसी बात कह सकता है और बाद में मुझे पता चला कि वह वेज़वाड़ा ज़िले में पैदा हुये हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : मैंने अपने लोगों से कहा था कि बेज़वाड़ा ही प्राकृतिक रूप से राजधानी बन सकता है, और उन्होंने मुझे उसी का सुझाव दिया। आप आरोप न लगाइये

श्री एन० आर० एम० स्वामी : उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का आज्ञापक मिला है, अतः उन्होंने बेज़वाड़ा का नाम सुझाया है। मेरे मान्य मित्र इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई समझौता करें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन तथा प्रवर समिति के निर्दिष्ट होने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : मैं सब से पहले इस प्रस्ताव का समथन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उड़ीसा आन्ध्र देश के उत्तर में है

श्री सारंगधर दास : मैं बहुत समय भारत से बाहर रहा। वहां मेरे तामिल, आंध्र, बंगाल तथा पंजाब के रहने वाले मित्र थे। उन दिनों मैं वहां, अमरीका में यही कहा करता था कि भारत में हम सभी भाइयों के समान रह रहे हैं। मेरा यह स्वप्न भी नहीं था कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषायें बोलने वाले लोग होंगे। किन्तु जब मैं बड़ा हुआ और सचाई जानने लगा तो मुझे कुछ और ही नजर आया। उड़ीसा की भाषा की एक लोकोक्ति है : "दूर के पहाड़ पत्थर लगा करते हैं (दूर के ढोल सुहावने)।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहाड़ से गय और पुनः पहाड़ लौट आये।

श्री सारंगधर दास : वापसी पर मैंने देखा कि जहां लोग अल्प संख्या में थे, वहां उन पर बहुमत का प्राधान्य था। सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से पहले भी मेरा यही अनुभव रहा है। उदाहरण-तया बिहार को देखिये। इसके परिणाम-स्वरूप मैंने विचार बदले और मैं कांग्रेसी संघर्ष में पड़ा और यही सोचता रहा कि भाषावार प्रान्त होने चाहियें। चुनाचे मैंने कांग्रेस द्वारा महा विदर्भ, महाकोशल आदि के लिए कांग्रेस समितियों के बनाने का प्रस्ताव ठीक समझा, जिस से उड़ीसा को सिंगभूम जिले में भी एक समिति का कार्य सौंपा गया। किन्तु दुर्भाग्यवश जब से कांग्रेस सत्ता में आई वह सभी नक्शे बदल गये। यद्यपि प्रधान मंत्री प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, फिर भी वे और उनकी पार्टी आगे बढ़ने से डरते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आन्ध्र प्रांत बनाये जाने के सम्बन्ध में बहुत

समय बाद विचार हुआ, और उस के कारण श्री रामुलू की मृत्यु भी हुई। उसकी मृत्यु के बाद कई हिंसाकांड हुए। और उस समय राजनीतिक पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाया--चुनाचे आन्ध्र देश बना कर अनुचित लाभ उठाने वालों के सामने सरकार झुक गई।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : कितनी कायरता है।

श्री सारंगधर दास : न केवल भाषा-वार प्रांतों के बनने के सम्बन्ध में, अपितु जनता की अन्य मांगों के सम्बन्ध में भी यह एक बुरी पूर्ववादिता है कि वह सरकार जो देश पर शासन चला रही हो, राजनीतिक धमकियों के सामने झुके। अतः एक मैं सरकार पर इस बात का दोष आरोपित करता हूं और इन लोगों को भी दोषी ठहराता हूं जिन्होंने वहां उस समय हिंसा की थी।

किन्तु, अब चूंकि यह बात हो चुकी है अतः बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार प्रांत बनाने की पूरी पूरी योजना बनाई जानी चाहिये। आज प्रातः मैंने करनाटक का एक समाचार सुना कि किस तरह वहां के लोग निराशा से घुले जा रहे हैं, और भूमिगत आन्दोलन चला रहे हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि न केवल अतिशीघ्र उस आवश्यक सीमा आयोग की नियुक्ति हो, अपितु भिन्न राज्यों के अस्तित्व, वित्तीय संसाधन तथा अन्य बातों को विचार में रखते हुए, उनकी भी इसी आधार पर रचना हो ताकि वे भारतीय राज्य संघ के अच्छे भाग बन सकें। कई राज्यों में और दूसरे राज्यों के क्षेत्र होने पर झगड़े चल रहे हैं, और यह प्रांत चाहता है कि उस प्रांत में से एक भाग मिले; इस तरह के रवैये से प्रांतों में शत्रुता बढ़ेगी। हमें चाहिये कि हम मिल कर काम करें और भाषावार प्रांतों की तान के अलापने में ही अल्पसंख्यकों को भूल न डालें।

हां, जहां तक विधेयक का प्रश्न है, इस में तुंगभद्रा परियोजना का उल्लेख हुआ है। ये नदी घाटी परियोजनायें भिन्न भिन्न राज्यों में स्थापित हैं--यानी एक ही परियोजना दो या तीन राज्यों में है। पहले यह परियोजना मद्रास और हैदराबाद द्वारा चलाई जाने वाली थी, और अब चूंकि बेलारी के कुछ भाग मैसूर में शामिल हुये हैं, मैसूर सरकार के मुख्य मंत्री, जैसा कि डा० काटजू ने उन्हें उद्धृत भी किया, कहते हैं कि :--

"यह परियोजना हमारी भूमि में--बेलारी जिले के उस भाग में....जो हमारे क्षेत्र में आया है--स्थापित है। अतएव यह हमारा है। यह सभी परियोजना हमारी है। हम इसको किसी भी ढंग से चला सकते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : इसको भी बन्द कीजिये।

श्री सारंगधर दास : "हमें इसके पूरा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं; किन्तु इसके पूरा होने के बाद, सभी बातों में इसका सम्भरण, नियंत्रण तथा प्रबन्ध-व्यवस्था हमारा काम होगा।"

किसी भी केन्द्रीय सरकार को ऐसी परिस्थितियों में उन ऐसे प्रांतों की परियोजना नहीं सौंपनी चाहिए जो एक दूसरे से लड़ रहे हों। जब तक ये दोनों राज्य एक दूसरे से कोई समझौता नहीं करते तब तक केन्द्र को इसे अपने पास रखना चाहिए। जिन दिनों ५६० राज्य

[श्री सारंगधर दास]

थे, उन दिनों इसी बात से सरकारों को डर लगता था। अब उड़ीसा में से बहने वा ी महानदी लगभग छः राज्यों में से बहती है, यह राज्य कहता है कि मैं यहां कुछ भी नहीं होने दूंगा, और दूसरा कहता ह कि मैं यहां एक बांध बनाऊंगा। अब, वह सब बातें बीत चुकी हैं, और हमारे पास स्वायत्तातापूर्ण राज्य हैं। एक राज्य कहता है "यह हमारी संपत्ति ह—हम जैसा भी चाहें, कर लेंगे।" अतः, राज्यों के हाथ में इन परियोजनाओं का सौंपा जाना बहुत ही खतरे की बात है क्योंकि नये राज्य बनाये जाते हैं। ये परियोजनायें भारत सरकार के नियंत्रण में होनी चाहियें। मेरा समय समाप्त होता जा रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब काम शीघ्रतापूर्वक होने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इस बिल के बारे में मुझे दो तीन बातें सूझती हैं, जो मैं आप के सामने अर्ज करना चाहता हूं।

सब से अव्वल, आज से तीस वर्ष के बाद जब भारत का इतिहासकार यहां का इतिहास लिखगा और सदन की कार्यवाही देखेगा तो वह कुछ इस प्रकार सोचेगा जो वर्तमान पीढ़ी को पसन्द न हो। ब्रिटिश राज्य को हम इन प्रान्तों के बनने का दोष तो देते थे वह इतिहास की एक घटना थी; किन्तु जब हमारे अपने राज्य में इस तरह की बातें होने लगें तो क्या हम स्वयं उत्तरदायी नहीं होंग। भारत का भावी इतिहासकार न्यायमुनि वांचू और मिश्र की रिपोर्टें पढ़कर यह नहीं समझगा कि उन्ह क्यों जल्दी थी। वह यह भी नहीं समझेगा कि भारत सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही थी। मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी क्यों की गई है? क्या आन्ध्रवासी और दो वर्ष नहीं ठहर सकते थे?

बाबू रामनारायण सिंह : कायरता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक नया राज्य बनाया जा रहा है किन्तु उसकी राजधानी का कोई भी निश्चय नहीं, और यह भी पता नहीं कि कहां उच्च न्यायालय बनाया जायगा। क्या इसी ढंग से नया राज्य बनाया जाता है। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि भारत का भावी इतिहासकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भारत सरकार आन्ध्रवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। इसमें आन्ध्रवासियों का भी कुछ दोष है; उन्होंने सरकार से जल्दी कराई यदि एक सोमा आयोग ने स्वतंत्र रूप से इसका निश्चय किया होता, तो यह खंडित आन्ध्र राज्य नहीं बन पाता, बल्कि, सच्चे अर्थों में, इसके स्थान पर एक विशाल आन्ध्र राज्य की स्थापना हुई होती। वांचू रिपोर्ट से मुझे यह भी पता चला है कि यह नया राज्य वित्तीय दृष्टि से आत्म निर्भर नहीं है। और इस बात को पढ़कर मुझे शर्मिन्दा होन पड़ा। क्या उसकी इस घाटे की स्थिति को हैदराबाद में से कुछ भाग मिला देने से पूरा नहीं किया जा सकता; वह भी तो भारत का ही अंग है। यदि आप मैसूर को कुछ भाग दिला सके तो क्या आप हैदराबाद का कुछ भाग इस नये आन्ध्र राज्य के साथ नहीं जोड़ सकते, ताकि यह एक आत्म-निर्भर राज्य बने। यदि कुछ ऐसे लोग जिन्हें आन्ध्र वासी होना चाहिये था हदराबाद में रह

रहे हैं, तो हम उन्हें आंध्र के साथ क्यों नहीं रखते । यह सही बात है कि मैं भाषावार प्रान्तों के बनाये जान के पक्ष में नहीं हूं । क्योंकि यदि यही आधार रखा गया तो भारत में सैंकड़ों राज्य होंगे । मेरे अपने छोटे ज़िले में पंजाबी, हिन्दुस्तानी, हिन्दी, बागड़ी, देसी बागड़ी आदि सात भाषायें बोली जाती हैं ।

डा० काटजू : हिसार ज़िले में ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, हिसार ज़िले में यदि आप सारे पंजाब को देखें तो आप को पता चलेगा कि भिन्न २ ज़िलों में ऐसी कई भाषायें और कई बोलियां बोली जाती हैं जो दूसरे भाग के लोगों को समझ में नहीं आ सकतीं । यदि भाषा को ही प्रान्त बनाने का मापदण्ड माना जाय तो असंख्य राज्य होंगे । हां, इस में कोई संदेह नहीं कि कई बातों में भाषा का मापदण्ड रखा जाना तो उपयोगी है ।

मुझे आंध्र राज्य के बनाये जाने में कोई भी आपत्ति नहीं किन्तु मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी में एक खंडित आंध्र राज्य बनाया जाय ।

रायलासीमा के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसे प्रदेश का हूं जहां रायलासीमा जैसी स्थिति है । मैं हरियाना क्षेत्र का हूं, जिस में हिसार, गुड़गांवा, करनाल और रोहतक ये चार जिले हैं ।

एक माननीय सदस्य : अम्बाला ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अम्बाला का एक भाग हरियाना में माना जा सकता है और इसका एक भाग पंजाब तथा हरियाना क्षेत्र का नमूना है ।

डा० काटजू : बुलन्दशहर के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह तो उत्तर प्रदेश में है । आप ने मुझे बहुत पहले की एक घटना याद दिलाई । वहां १९२८ में जब सभी पार्टियों का अधिवेशन हो रहा था तो मैं सर तेज बहादुर सप्रू के पास गया; चुनांचि मैं ने उन से कहा कि हम कठिनाई में हैं क्योंकि पिछले १०० वर्ष से हमें पंजाब में रखा गया है, और यह उस काम का दण्ड दिया गया है जो हम ने १८५७ के विद्रोह में किया था । मैं ने उन से यह भी कहा था कि हम पंजाब के नहीं अतः यदि एक ऐसा नया प्रान्त बनाया जाय जिस में उत्तर प्रदेश के कई भाग हरियाना क्षेत्र, आदि हों तो अच्छा रहेगा, ताकि सजातीय इकाई बन सके; चुनांचे उस समय सर तेज बहादुर सप्रू ने तेज भरी आवाज में मुझ से कहा था—"नहीं, ऐसा नहीं हो सकता; आप उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते हैं ।" इसके बाद उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी । और अब आप बुलन्दशहर का ज़िक्र कर रहे हैं । कितना ही अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के ये सभी भाग जिन में हमारी जैसी कुछ समान बातें पाई जाती हैं, हरियाना में मिल जाते—किन्तु आप हमें उन्हें छूने तक नहीं देंगे ।

संविधान में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा राष्ट्र की एकता का उल्लेख है किन्तु प्रान्तीय राष्ट्रीयता को कोई महत्व नहीं दिया गया है । किन्तु आज प्रत्येक व्यक्ति प्रांतीय राष्ट्रीयता की बात कह रहा है । मेरा तो यह कहना है कि जब भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी आधार को लेकर प्रांतों का पुर्विभाजन हो तो उसका उद्देश्य

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

प्रांतों को संबद्ध तथा उन्नतिशील बनाना हो । भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है समस्त देश के लिए एकात्मक सरकार नहीं बनायी जा सकती क्योंकि उसमें इस बात का सन्देह रहता है कि जो भाग कमज़ोर हैं उनकी ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जा सकता । इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बात मैं रायलासीमा के बारे में कहना चाहता हूं । रायलासीमा जो आंध्र का एक भाग है, उसके साथ उतना न्याय नहीं होगा जितना कि होना चाहिए । रायलासीमा निवासियों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि रायलासीमा को भी वही महत्व मिलना चाहिए जो कि आंध्र के अन्य भागों को दिया जा रहा है । मुझे हरियाना के बारे में पूरा पूरा अनुभव है । जब वह संयुक्त पंजाब का एक भाग था तब भी तथा आजकल भी वह प्रायः बहुत सी बातों में भुला दिया जाता है । मैं आशा करता हूं कि रायलासीमा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जायगा । रायलासीमा एक निर्धन क्षेत्र है अतएव सदन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस बात को देखे कि रायलासीमा के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है । अतएव इस विधेयक में रायलासीमा की भलाई के लिए कुछ सुरक्षा की जानी चाहिए ऐसा मेरा निवेदन है ।

हम कह सकते हैं कि पहिले कुछ वर्षों में समस्त आंध्र राज्य के सम्पूर्ण राजस्व का कुछ भाग रायलासीमा में शिक्षा, औद्योगिक एवं कृषि आदि की उन्नति के लिए लगाना चाहिए । मैं तो यह कहता हूं कि यदि भारत सरकार इस पर पुर्विचार करके सम्पूर्ण आंध्रराज्य, राजधानी तथा उच्चन्यायालय सहित बना देती तो बड़ा अच्छा होता । प्रतिवेदन में कहा गया है कि आंध्रराज्य आर्थिक दृष्टि-कोण से स्वावलम्बी नहीं है । भारत सरकार अथवा मद्रास सरकार—जो भी आंध्रराज्य के लिए उत्तरदायी हो उसे यह सोचना चाहिए कि इसका निर्माण अच्छे ढंग पर हो ।

यदि भारत सरकार किसी प्रांत को कोई धन उधार देती है तो वह उस निधि में से देती है जिसका सम्बन्ध समस्त भारत से होता है । अतएव आंध्र को जो कुछ दिया गया है उसका समर्थन सभी सदन को एकमत होकर करना चाहिए ताकि आंध्रराज्य उचित रूप से बन सके । जस्टिस वांचू ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि मद्रास को ५ वर्ष तक के लिए आंध्र की राजधानी बना दिया जाय । किन्तु वास्तव में देखा जाय तो आंध्र निवासी मद्रास को राजधानी बनाना नहीं चाहते । हमको यह देखना चाहिए कि यदि कोई उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता तो क्या हानि है कि अगर ५ वर्ष तक मद्रास ही राजधानी रहे तथा मद्रास न्यायालय ही उनका न्यायालय रहे । मेरा विचार है कि जब यह प्रतिवेदन लिखा गया था तो सम्भवतः उस समय ऐसा ध्यान हो कि आगामी एक या दो, तीन वर्षों में हैदराबाद का कुछ भाग आंध्र में मिला दिया जाय । सम्भवतः इसी कारण इसमें लिखा गया है कि उच्चन्यायालय १९५५ अथवा १९५६ से पूर्व वहां नहीं जा सकता । आंध्र की जनसंख्या काफी है । मैं चाहता था कि इसमें कुछ भाग और जोड़ दिये जायें और इसकी जनसंख्या ३ करोड़ हो जाय । एवं इसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाय ।

आज ऐसी दशा हो गई है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य में से कुछ न कुछ

मांगता है । या तो इसे एकदम रोक देना चाहिए अथवा सीमा आयोग की नियुक्ति कर दी जाय जो इस झगड़े को सदैव के लिए निपटा दे । हम नहीं चाहते कि यह झगड़ा बराबर चलता रहे और एक राज्य दूसरे राज्य से इस बात को लेकर आपस में जलन की भावनाएं बनाये रखे ।

संविधान में कहा गया है कि मानव जाति में समानता हो, जाति, धर्म आदि के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । मैं चाहता हूं कि संविधान में यह भी होना चाहिए कि देश के सभी क्षत्रों में समानता हो । कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनके बारे में अधिक ध्यान दिया गया है । इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था भिन्न भिन्न है । बड़े बड़े राज्यों में जो धनवान हैं वहां सामुदायिक योजनाएं कार्य कर रही हैं । रायलासीमा में अकाल पड़ते हैं किन्तु वहां यह प्रबन्ध नहीं किया गया है कि अकाल फिर न पड़ें । इसी कारण तो मैं चाहता हूं कि आंध्र की सम्पूर्ण आय का कुछ भाग रायलासीमा के सुधार कार्य के लिए पहिले कुछ वर्षों तक लगाया जाय । अतएव भारत सरकार को चाहिए कि वह कुछ ऐसे प्रबन्ध करे ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो । अल्पसंख्यकों को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि उनके हित के लिए भारत सरकार है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि न्याय, जीवन-स्तर, काफी नीचे चला गया है । तथा उनकी आवश्यकताओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस बात को देखे कि एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोई आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए उनके साथ कोई भेदभाव न हो तथा उनके साथ पूरा पूरा न्याय हो ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : माननीय गृह मंत्री ने इस विधेयक में 'भाषावार राज्य' शब्दों का प्रयोग नहीं किया है । हालांकि यह विधेयक भाषावार राज्य से ही सम्बन्धित है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारत सरकार तथा आंध्र के माननीय सदस्य जो कि आंध्र राज्य बनाने जा रहे हैं वे हैदराबाद के बारे में क्यों नहीं कुछ तै करा लेते । हैदराबाद में तीन भाषाओं के बोलने वाले हैं । तेलगू भाषी लगभग एक करोड़ हैं । जो कि वर्तमान आंध्र की जनसंख्या के आधे से भी अधिक हैं । वर्तमान आंध्र राज्य में दो कमी हैं । एक तो है राजधानी की । यदि हैदराबाद के बारे में निश्चित हो जाता है तो, और जैसा कि हैदराबाद निवासी विघटन के लिए तत्पर हैं मैं समझता हूं कि उस स्थिति में हैदरावाद को आंध्र की अस्थायी राजधानी बनाया जा सकता है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि आंध्र वाले मद्रास को तो अस्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं हैदराबाद को वह क्यों नहीं बनाते । यह ठीक है कि तेलंगाना बीच में पड़ता है । किन्तु जब हैदराबाद विशाल आंध्र की राजधानी बनेगा तो फिर उन सभी को अभी से क्यों नहीं जोड़ देते । इस प्रकार से राजधानी बनाने में सुविधा मिलेगी ।

अब कुछ दिनों से हैदराबाद के बारे में वादप्रतिवाद चल रहा है । कुछ लोगों का विचार है कि हैदराबाद, मद्रास अथवा इन सरीखे भागों को 'ग' श्रेणी का राज्य बना दिया जाय । हैदराबाद में अभी एक वादप्रतिवाद हुआ था जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद, सिकन्दराबाद तथा आस पास के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर उसे 'ग' श्रेणी का राज्य आसानी से बनाया जा सकता है ।

[श्री हेडा]

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

'ग' श्रेणी के राज्यों की बात तो अब पुरानी बात हो गई है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसके बारे में एक निश्चित नीति की घोषणा कर दे कि किसी भी नगर को 'ग' श्रेणी का राज्य नहीं बनाया जायेगा। यदि बनाया जाता है तो वहां के रहने वाले व्यक्तियों में आगामी सम्बन्ध अच्छे बनाये रखने के लिए प्रबन्ध करना होगा।

मैंने आन्ध्र वासियों से जो कि मद्रास में रहते हैं हैदराबाद अधिवेशन के अवसर पर पूछा था कि यदि मद्रास को 'ग' श्रेणी का राज्य बनाया जाता है तो उनकी क्या राय है उन्होंने उत्तर में बताया कि इसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा।

हैदराबाद को यदि अस्थाई राजधानी बनाया जाता है तो मैं रायलासीमा वालों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ कोई भेदभाव अथवा अन्याय नहीं किया जायेगा। तेलंगाना के छः जिलों की संस्कृति, रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति रायलासीमा सरीखी है। उनमें रायलासीमा वालों के लिए मैत्रीभाव तथा सद्भावना है।

भारत सरकार को भाषावार प्रांतों के बारे में एक निश्चित नीति घोषित कर देनी चाहिए जैसे कि एसा निश्चित कर दें कि भाषावार प्रांत बनाने के लिए कम से कम इतनी जनसंख्या अर्थात् उदाहरण के लिए एक करोड़ रख लें, होनी चाहिए तो आज जो यह बातें मद्रास, हैदराबाद आदि को 'ग' श्रेणी का राज्य बनाने के बारे में हो रही है वे सब एकदम समाप्त हो जाएंगी। भारत सरकार इस बारे में भी एक निश्चित घोषणा कर दे कि जहां राज्यों के पुनर्विभाजन के लिए भाषा आधार है वहां राजधानी के लिए स्थान होना भी महत्व रखता है ; तथा नये राज्य बनाने के लिए जैसा कि काका गाडगिल साहब ने एक सुझाव में कल बताया था कि न्यूनतम क्षेत्र तथा न्यूनतम वित्तीय साधन भी आवश्यक हैं।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : नव भारत में एक नए राज्य के निर्माण के लिए बनाये गए इस महत्वपूर्ण विधेयक का मैं पूरी तौर पर समर्थन और स्वागत करता हूं। मैसूर राज्य के लोगों की ओर से, मेरी यह कामना है कि आन्ध्र राज्य सारे भारत में एक आदर्श राज्य हो और वहां के लोग संविधान का आदर करने वाले और न्यायाप्रिय हों। मुझे प्रसन्नता है कि पहली अक्तूबर को नया राज्य वास्तविक रूप ले रहा है।

मैसूर राज्य के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। मैं उन का उत्तर देना चाहता हूं। मैसूर एक दानशील, न्यायप्रिय एवं उच्च आदर्शों वाला राज्य है। वह प्रगति, प्रशासन अथवा आर्थिक विकास के मामले में किसी भी भाग 'क' के राज्य से कम नहीं है और यही कारण है कि उस को संविधान के अनुच्छेद ३७१ के उपबन्धों से विमुक्त कर दिया गया है।

इस विधेयक की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैसूर राज्य के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए मैसूर ने कभी भी मांग नहीं की बल्कि ऐसा केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छा से कर रही है। हम

सदैव केन्द्रीय सरकार के आदेशों का आदर करते रहे हैं । और इसलिए हमने बेलारी ज़िले के सात तालुकों का स्वागत किया है ।

जहां तक बेलारी का संबंध है, पहले वह मद्रास राज्य का ही एक अंग था। न्यायाधीश मिश्रा के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि बेलारी के इन सात तालुकों के और मैसूर के लोगों में बहुत अधिक समानता है। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि मैसूर के लोगों ने बेलारी को पाने के लिए कभी भी हिंसा की नीति नहीं अपनाई। हम को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि सारे तेलगू भाषी क्षेत्र आन्ध्र राज्य को मिल जायें पर उन्हें कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। बेलारी ज़िले के इन सात तालुकों में पूर्ण रूप से कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में रहने वाले कन्नड़ों के साथ सदैव अनुचित व्यवहार हुआ है। मानवी दृष्टिकोण से भी बेलारी नगर सहित इन सात तालुकों को मैसूर में सम्मिलित होना चाहिए । मेरी राय में अब यह बेलारी का प्रश्न फिर न उठाया जाए। श्री राघवाचारी ने कहा कि आन्ध्र और मद्रास के झगड़े से मैसूर लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है । मुझे यह सुन कर बहुत दुःख हुआ। यह आरोप सर्वथा निराधार है। मैसूर स्वयं अनेक टुकड़ों में बंट गया है। कन्नड़ लोग कई भागों में बंट गए हैं। कुछ भाग मद्रास में जोड़ दिए गए हैं, कुछ आन्ध्र में और कुछ महाराष्ट्र में। मजे की बात तो यह है कि आन्ध्र के हमारे मित्र मद्रास से अपने क्षेत्रों को मांगने की बजाय हम से मैसूर मांग रहे हैं। उन्होंने मद्रास मांगा, बेलारी नगर मांगा, और अब वे हैदराबाद मांग रहे हैं। मांग की भी कोई सीमा होनी चाहिए और आधार भी। हमें अपने प्रदेशों को वैधानिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

उन लोगों ने मिश्रा-प्रतिवेदन के संबंध में बहुत सी दुःखद चीज़ें कहीं और की हैं। मेरे विचार से आन्ध्र लोगों का ऐसा व्यवहार ग़लत और अनुचित है ।

मेरे एक और मित्र, श्री चौधरी तमकुर, चितलद्रुग और यहां तक कि कोलार भी चाहते हैं । हम उन्हें मैसूर देने को भी तैयार हैं । पर क्या वे इन सब क्षेत्रों पर शासन करने की क्षमता भी रखते हैं? पहले उन्हें अपने नए राज्य को संभालने और उसकी समस्याओं से निपटने का काम करना चाहिए । यहीं पर मैं यह भी बता दूं कि यदि तामिलनाद अथवा आन्ध्र में कोई कन्नड़ क्षेत्र का टुकड़ा होगा तो हम उस को छोड़ना नहीं चाहते। किन्तु हम उसे हिंसात्मक ढंग से नहीं लेना चाहते। पर यदि वे लोग हिंसात्मक ढंग अपनाने को तैयार हैं तो हम भी उस के लिए तैयार हैं ।

अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि उन स्थानों के लोग चाहें तो नीलगिरी, कोलेगल और दक्षिण कनारा जैसे क्षेत्र मैसूर राज्य में मिला दिए जाएं ताकि हम एक बृहत्तर मैसूर बना सकें और सारे देश का एक अच्छा एकीकरण कर सकें।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़प्पा) : मैं लाखों आन्ध्र लोगों और विशेष कर रायलासीमा के लोगों की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं । आन्ध्र के लोग यह कामना करते हैं कि उनके पड़ोसी कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र

[श्री ईश्वर रेड्डी]

के लोग भी अपना राज्य बनाने में शीघ्र सफल हों। रायलासीमा के लोगों ने केन्द्रीय सरकार के आन्ध्रों के बीच फूट के झूठे प्रचार को गलत सिद्ध कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग उत्तरी सरकारों के लोगों के साथ अपनी एकता को सुदृढ़ बनाएंगे और अधिक उत्साह के साथ विशाल आन्ध्र तथा अपनी परियोजनाओं की प्राप्ति की मांग के लिए प्रयत्न करेंगे। मैं इस महान उद्देश्य के लिए बलिदान होने वाले लोगों, विशेष कर श्री पोट्टी श्री रामुलू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस विधेयक में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके कारण रायलासीमा को काफी चिन्ता हो गई है। इनमें से तुंगभद्रा परियोजना, राजधानी का स्थान आदि मुख्य हैं। इन्हीं के विषय में मैं कुछ कहूंगा।

इस शताब्दी में रायलासीमा में केवल तुंगभद्रा परियोजना ही बनाई गई है। वह भी अभी पूरी नहीं हुई है। ऊंचे धरातल पर बनाई जाने वाली नहर का काम अभी हाथ में लिया जाना बाकी है। इसको बनाने के लिए आन्दोलन चल रहा है। इसके बन जाने से तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और गंडीकोटा परियोजना के लिए भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। इस क्षेत्र को अकाल से बचाने के लिए ही १९०२ में यह परियोजना बनाई गई थी। लेकिन उस पर कार्य १९४५ में शुरू हुआ। रायलासीमा के लोग इस परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी के लिए वे लोग पचास वर्षों से आन्दोलन करते आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संबंध में मैसूर सरकार की सिफारिशों से रायलासीमा के लोगों को भारी धक्का पहुंचा है। उनसे परियोजना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। रायलासीमा के अभागे लोगों के प्रति मैसूर सरकार का ऐसे विचार रखना बहुत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। चूंकि तुंगभद्रा परियोजना मैसूर में स्थित है, इस आधार पर वह मैसूर की नहीं हो सकती। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में सम्पत्ति का स्वामी हो सकता है। यही बात राज्यों पर भी लागू होती है। किन्तु हम लोग उस परियोजना पर पूर्ण स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि इस अंतर-राज्य परियोजना की देख भाल केन्द्र द्वारा हो और एक ऐसा निगम बनाया जाय जिसमें आन्ध्र, हैदराबाद, मैसूर और केन्द्र के प्रतिनिधि हों। इस निगम का सभापति केन्द्र का प्रतिनिधि हो जिस को इस परियोजना के निश्चित प्रयोजनों तथा कार्य को करने के संबंध में पूरे निदेश प्राप्त हों। भूतकाल में इस काम में कोई न कोई बाधा पड़ती रही है। कब तक हम यह अन्याय सहन करें? रायलासीमा के लोग इतने दिनों तक एक पृथक प्रांत के लिए इसीलिए लड़ते रहे हैं क्योंकि संयुक्त राज्य में हमारी परियोजनाएं उपेक्षित थीं। भूतकाल की केवल ऊपरी सहानुभूतियों से काम नहीं चलेगा। हमारा सरकार से यह अनरोध है कि वह इस नदी का पानी हमारी भूमि पर बहने दें और रायलासीमा के लोगों को दिए गए वचनों का पालन करें।

अब मैं राजधानी की स्थापना के प्रश्न पर आता हूं। माननीय गृह-कार्य

मंत्री के भाषण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि करनूल में राजधानी की स्थापना का निर्णय मद्रास के आन्ध्र-विधायकों द्वारा किया गया है, पर वास्तव में यह तथ्य नहीं है। यह निर्णय विशेष परिस्थितियों से मजबूर हो कर लिया गया था—स्वेच्छा से नहीं। फलस्वरूप सारे आन्ध्र देश में इसका कड़ा विरोध किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि मद्रास विधान मण्डल ने गुंतूर–बेजवाडा के पक्ष में निर्णय किया। ओर मैं चाहता हूं कि उसी विचार के अनुसार राजधानी गुंतूर-बेजवाड़ा में स्थापित की जानी चाहिए। सरकार को यदि अभी भी दुविधा हो तो उसे आन्ध्र विधायकों की एक बैठक बुला कर उनकी राय मालूम कर लेनी चाहिए। यह कार्य नए राज्य के उद्घाटन से पूर्व ही हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ी झंझटें पैदा हो जायेंगी। मैं प्रधान मंत्री से इस सुझाव पर पुन-विचार करने की और विजयवाड़ा को राजधानी बनाने की प्रार्थना करूंगा।

श्री अच्युतन (क्रेंगान्नूर) : भारत सरकार द्वारा एक वैज्ञानिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की इच्छा को देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अंग्रेज शासकों का भी यह मत था कि ये प्रांत वैज्ञानिक आधार पर नहीं बने थे। बिल्कुल भाषा के ही आधार पर राज्यों के निर्माण के पक्ष में मैं नहीं हूं। पर मैं यह चाहता हूं कि राज्यों के पुनर्गठन में इस पर भी ध्यान रखा जाये। शुद्ध भाषावाद को स्वीकार करने से बहुत से खतरे पैदा हो सकते हैं जिनके फलस्वरूप हमारी प्रगति रुक जायगी। इस बात को हम सहन नहीं कर सकते। हमको यह तय कर लेना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हों। मान लीजिए १२ या १५ राज्य होने चाहिए। मेरे विचार से लोगों को विशाल आन्ध्र विदर्भ आदि की मांग छोड़ देनी चाहिए। इससे हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य : आप विधेयक के पक्ष में हैं अथवा उसके विरूद्ध ?

श्री अच्युतन : मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं। श्री रघुरामय्या की यह मांग कि तेलगूभाषी क्षेत्रों का एक राज्य होना चाहिए, केवल एक पागलपन मात्र समझी जानी चाहिए। क्या वह यह चाहते हैं कि सारी मद्रास प्रेसीडेन्सी में आन्ध्र राज्य की छोटी छोटी बस्तियां बनाई जायें ? प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि आयोग की नियुक्ति के बाद राज्यों का पुनर्गठन होगा। मैं नए आंध्र राज्य की सफलता की कामना करता हूं।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एक बहुत प्रशंसनीय बात है। मैं हैदराबाद के लोगों की ओर से कह सकता हूं कि वहां के तेलगू लोग किसी भी समय आन्ध्र राज्य में मिल सकते हैं। आन्ध्र राज्य का रायलासीमा वाला भाग अकाल वाला सूखा क्षेत्र है जिस पर वहां की सरकार को बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ेगा।

कुछ लोगों का यह विचार है कि दक्षिण भारत में अभी और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने वाली है, और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ काल के उपरांत उस भाग के लोग अपने लिए एक अलग केन्द्रीय सरकार की मांग कर सकें। क्योंकि वहां के लोग यह समझते हैं कि दिल्ली केन्द्रीय सरकार उत्तर की, उत्तर वालों

[श्री एम० आर० कृष्ण]

द्वारा और उत्तर के लिए है। पता नहीं सरकार इस बात को कहां तक मानेगी।

आन्ध्र राज्य की राजधानी कहां हो, यह भी एक समस्या है। राजधानी करनूल नामक स्थान में बनाई जा रही है। यह स्थान अकाल-क्षेत्र में है और यहां पर मकान आदि की भी बहुत तंगी है क्योंकि यहां की ६०,००० जनसंख्या के लिए केवल १२,९२० मकान हैं। ऐसी दशा में मैं तो समझता हूं कि यहां पर सचिवालय के सारे दफ्तर आ भी नहीं सकेंगे। और यदि आरम्भ से ही सचिवालय के सारे विभाग एक ही स्थान पर नहीं रखे जायेंगे तो प्रशासन कार्य में बहुत गड़बड़ी की सम्भावना है।

हैदराबाद के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है। वहां के लोगों की कई मामलों में काफ़ी उपेक्षा की जा चुकी है और वे अब भी उपेक्षित ही हैं। वहां के सभी राजनैतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस दल भी सम्मिलित है, हैदराबाद के विघटन की मांग की है। वहां के दो निगमों ने भी इसी आशय के प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। पर अभी तक सरकार ने इस विषय में कुछ भी नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि हैदराबाद राज्य तुरन्त ही विघटित कर दिया जाये और हैदराबाद नगर को आन्ध्र की राजधानी बना दिया जाये। नए राज्य के उच्च न्यायालय को मद्रास में रखने से उस राज्य के लोगों को बहुत आर्थिक कष्ट उठाना पड़ेगा, जो उचित नहीं प्रतीत होता।

एक बात और है, यदि हैदराबाद राज्य आज ही विघटित कर दिया जाता है तो उस राज्य के ऐसे ज़िलों के लिए कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रान्तों में सम्मिलित किए जाने हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि सारे आन्ध्र राज्य का, जिसमें ग्यारह ज़िले और बेलारी के तीन तेलगू भाषी ताल्लुके हैं, हैदराबाद राज्य के साथ एकीकरण कर दिया जाये—ऐसे समय तक के लिए जब तक कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रान्तों का निर्माण नहीं हो जाता। इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी और न ही कोई अस्तव्यवस्तता होगी।

कदाचित भारत सरकार को हैदराबाद के निज़ाम से विशेष प्रेम है, इसीलिए वह हैदराबाद राज्य के विघटन के सम्बन्ध में निर्णय लेने से हिचक रही है। यह लोकतंत्रात्मक ढंग नहीं कहा जा सकता। यदि यह सत्य नहीं है, तो उसे हैदराबाद का यथाशीघ्र विघटन कर देना चाहिए ताकि आन्ध्र के लोगों को इतने कष्ट न उठाने पड़ें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): आन्ध्र विधेयक ने मुझे और सदन के बहुतेरे सदस्यों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर प्रदान किया है। अब हम यह जानते हैं कि तामिलनाद और कर्नाटक के सदस्य कौन हैं, उत्तर के कौन प्रतिनिधि हैं और दक्षिण से कौन। इस दृष्टि से विधेयक के प्रवर्त्तक धन्यवाद के पात्र हैं।

विधेयक पर अनेक भाषण दिये गये हैं। इनमें से कुछ अत्यन्त ही आवेशमय, उत्तेजनात्मक और अतिशयोक्ति पूर्ण हैं। कुछ वक्तृताएं अर्थयुक्त थीं और कुछ अर्थहीन.....

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यहां कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री जी० एच० देशपांडे : क्या इस सदन में कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि सदन में किसी माननीय सदस्य द्वारा दिया गया भाषण अर्थहीन है ?

सभापति महोदय : पहले यह कहा गया था कि कुछ भाषण अर्थपूर्ण थे और अन्य अर्थ-हीन । 'अर्थहीन' शब्द का प्रयोग 'अर्थ' का विरोध प्रकट करने के लिये किया गया है । अतः उसकी पृष्ठभूमि व्यर्थ है । अतः मेरा विचार है कि प्रस्तुत संदर्भ में वह संसद की दृष्टि से अनुचित नहीं है ।

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : माननीय सदस्य यह सोच सकते हैं कि उन्होंने कतिपय भाषण उक्त दृष्टि से भी श्रवण किये हैं। कदाचित उनका यही अभिप्राय है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, इस निर्णय पर मैं आपका आभारी हूं ।

बहस के समय आन्ध्र के कितने ही मित्र शान्ति के स्थान पर उग्रता प्रदर्शित कर रहे थे । आगे कुछ भी कहने के पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैसूर और आन्ध्र अथवा आन्ध्र और तामिलनाद में परस्पर युद्ध करने का अवसर नहीं है। हम किसी तरह का झगड़ा अथवा संघर्ष नहीं चाहते हैं, हम भाषा युद्ध नहीं चाहते हैं और न हमारी इच्छा अन्तर्प्रान्तीय विद्वेष उत्पन्न करना है । ईर्ष्या से ईर्ष्या, पक्षपात से पक्षपात ही बढ़ता है । घृणा से घृणा ही उत्पन्न होती है । यदि कोई वर्ग अपनी मांग में अतिशयोक्ति का आधार लेता है तो उस का उत्तर भी अतिशयोक्ति पूर्ण ही होगा । अतः प्रत्येक मांग किसी औचित्य-युक्त सीमा तक ही निश्चित होनी चाहिये । मैं बलारी के विषय में कहूंगा । मैं जानता हूं कि कुछ समय से कलह का मूल कारण यही रहा है । न्यायाधीश मिश्र ने इसका निर्णय कर दिया है । सब व्यक्ति यह मानते हैं कि जनमत संग्रह खतरों से परिपूर्ण है ।

श्री लक्ष्मय्या : क्योंकि यह आपके हित में है अतः स्वाभाविक है कि आप यही कहेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह आपका विचार है । मैं निर्लिप्त और निस्पृह व्यक्ति के रूप में यह बात कह रहा हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् : आपका पेट भरा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् का कहना है कि मेरा पेट भरा हुआ है । यह भरा हुआ नहीं है । वे प्रसन्न हैं जो आज उत्सव मना रहे हैं । हम कन्नड़ों का कोई अपना स्वतन्त्र राज्य नहीं है । यदि वे प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं किन्तु आन्ध्र जनों को यह स्मरण रखना चाहिये कि मेरे भाग की जनता प्रसन्न नहीं है क्योंकि अभी कर्नाटक राज्य का निर्माण नहीं हुआ है ।

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कुछ वर्षों पूर्व ही एक संकल्प स्वीकृत किया था कि जिसमें स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई थी कि कर्नाटक और आन्ध्र

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

राज्यों का एक साथ ही निर्माण किया जायेगा। समिति ने यह भी स्वीकृत किया था कि कर्नाटक जनों का दावा अधिक सरल है तथा कर्नाटक राज्य का निर्माण अपेक्षाकृत सरल है।

अब मुझे किसी पर ईर्ष्या नहीं है किन्तु मुझे दःख है कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार जनता की मांगों और इच्छाओं की सराहना नहीं कर पा रही है। जो लोग आज देश का शासन कर रहे हैं वे दूरदर्शिताहीन हैं; वे नहीं चाहते कि कोई समस्या शान्तिपूर्ण ढंग से हल की जाय। जब कहीं ज़ोर डाला जाता है, सत्याग्रह होता है, गोलियां चलती हैं और लोग मरते हैं तब वे सचेष्ट होते हैं। वे उतने मंदबुद्धि और काठवत् हैं कि वे किसी भी समस्या को शीघ्र ही नहीं सुलझाना चाहते। सदन के एक अधिवेशन में जितना समय आंध्र विधेयक पर खर्च किया गया है उतने ही समय में भारत के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन के आशय का एक विधेयक स्वीकृत किया जा सकता था। यदि कर्नाटक निर्माण के लिए दबाव डाला गया तो वे फिर इसी तरह का एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। अनावश्यक रुप में काफी समय लगाया जा रहा ह। हम चिन्तित हैं, देश में प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है, मैं पूछता हूं इस समस्या को सदा के लिए क्यों नहीं सुलझा दिया जाता।

हम एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग की स्थापना की धुन्धली रूप रेखा के विषय में सुन रहे हैं। किन्तु यदि सरकार इस कार्य के प्रति ईमानदार और तत्पर है तो उक्त आयोग को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जाता? पंडित नेहरू ने जिस दिन विचार किया उसी दिन कोरिया के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया। मैं इस विषय में किसी तरह की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं इसी तरह की प्रवृत्ति सब अफसरों पर कार्यान्वित होते देखना चाहता हूं। इस कार्य में भी उतनी ही फुर्ती और सत्वर गति से काम लिया जाना चाहिये था।

आज कर्नाटक क्षत्र में व्यापक पैमाने पर आन्दोलन चल रहा है किन्तु कोई इस से अभिज्ञता प्रकट करते हुए दिखाई नहीं देता। जब तक गृह मंत्रालय इस दिशा में स्पष्ट वक्तव्य नहीं देता है यह आन्दोलन समाप्त नहीं होगा। इस की आस्तियों और दायित्व के विभाजन में समय अवश्य लगेगा किन्तु उन्हें राज्य निर्माण की निश्चित अवधि घोषित कर देनी चाहिए।

मैं मात्र भारतीय हूं। मैं सदैव भारत का नागरिक रहूंगा। अतः उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए आन्दोलन तथा स्वर निनादित कर रहे हैं वे संकुचित वृत्ति के व्यक्ति हैं। उस दिन गृह उपमंत्री ने कहा था कि हम ऐसे भाषावार राज्यों का निर्माण नहीं होने देंगे जिनसे देश की एकता खतरे में पड़ जाय। मैं इसको सुनकर हतप्रभ हो गया क्या हम मूर्ख हैं कि हम भाषावार राज्यों की मांग कर रहे हैं? क्या हम देश की एकता सुरक्षित रखने के लिए समान रुप से उत्तरदायी नहीं हैं? यह कोई पाठशाला अथवा मठ नहीं है जहां हमें पढ़ाया जाता है। हम समस्त उत्तरदायित्व के साथ काम कर रहे हैं। देश को खंडित करने का उत्तरदायित्व उन पर है जो भाषावार राज्यों की मांग का विरोध करते हैं। मैं जनता तथा देश में अधिक संश्लेषण चाहता हूं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : इस विषय पर बोलने के लिए अवसर देने पर मैं आपका कृतज्ञ हूं ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषावार राज्यों के निर्माण के लिए आंध्रजन अगुआ रहे हैं । उन्होंने उसके लिए प्रयत्न और त्याग भी किया है । यद्यपि उनकी भावनाओं की पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है और वे खिन्नमना हैं तो भी यह अच्छा लक्षण है । इससे अन्य व्यक्तियों को दिशा मिलेगी और उनका पथ निर्देशन हो सकेगा ।

इस बात के निरीक्षण से मुझे संतोष हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उन्हें सम्प्रदायवादी कहा गया है । यह कह कर उनकी निन्दा की गई है कि वे मुस्लिम लीग समान प्रवृत्ति से प्रभावित हैं । कांग्रेस ने इस नीति को मान लिया है अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है । अब सदन में अथवा उसके बाहर इस नीति का विरोध करना अनुचित है । कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात उनका सर्वप्रथम कार्य देश को भाषावार राज्यों में पुनर्निर्मित करना होगा । इन नेताओं पर विश्वास कर जनता इसके लिए त्याग करती रही है यह युक्ति की बात न होकर अब भावना का प्रश्न बन गया है । कांग्रेस नेताओं के वर्तमान दृष्टिकोण को देखकर जनता को आश्चर्य है सरकार को यह घोषित कर देना चाहिये कि उसकी नीति क्या है । विधान सभा ने संकल्प स्वीकृत कर दिया है कि भाषावार प्रान्तों के निर्माण की सम्भावना मालूम करने के लिये एक आयोग स्थापित कर दिया जाय । किन्तु जब वह आयोग नियत किया गया और देश के कुछ क्षेत्र उसके सुपुर्द किये गये तो उत्तर भारत विशेष रूप से पृथक रखा गया । तदनन्तर उच्च सत्ता सम्पन्न समिति ने इस विषय का अध्ययन किया । समिति की अन्तिम कण्डिका ने उत्तर भारतियों के लिये शूल का काम किया है :

"कुछ भी गुण हों, वर्तमान में उत्तर भारत के मामले पर विचार नहीं किया जायगा ।"

पता नहीं हमने ऐसी कौनसी गलती की है कि हमारे साथ इस तरह का भेदपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । यदि गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता कि उत्तर भारत इस तरह के राज्य के लिये पात्र नहीं है तो हम संतुष्ट हो जाते ।

सरकार ने निरोधात्मक वृत्ति का आश्रय ले रखा है । वह कहती है कि जब तक सब दलों में समझौता नहीं हो जाता हम इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते । मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो लोग भाषावार प्रान्तों के निर्माण का समर्थन करते हैं वे किसी से कम देशभक्त नहीं हैं । देशभक्ति पर केवल उन्हीं व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं है जो उक्त मांग का विरोध करते हैं ।

दिनांक ६ अगस्त १९५३ को प्रधान मंत्री ने इसी सदन में घोषणा की थी कि आंध्र राज्य के निर्माण के पश्चात भाषावार राज्यों के प्रश्न में पूर्णरूपेण विचार करने के लिये उच्च सत्ता युक्त समिति की रचना की जायेगी । उत्तर की जनता ने इस घोषणा का स्वागत

[सरदार हुक्म सिंह]

किया है । किन्तु हमें आशंका है कि देश के जिस भाग के साथ अभी तक जो विभेद पूर्ण व्यवहार किया गया है कहीं उक्त समिति दारा भी उसी की आवृत्ति न हो ।

मुझे याद है जब डा० पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उसी समय धर आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था । एक पार्टी में उनका सत्कार किया गया और किसी ने वहीं खड़े होकर कहा कि स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि भाषावार राज्यों का निर्माण नहीं किया जाता है । हम कांग्रेसियों द्वारा किये गये इन्हीं पुराने वायदों की पूर्ति चाहते हैं।

अंग्रेजी शासन के युग में हम से कहा जाता था कि यदि हिन्दू और मुस्लिम परस्पर सहमत हों तो हम स्वतंत्रता की मांग पर विचार कर सकते हैं और तब हम परस्पर लड़ने लगे थे और अंग्रेज प्रसन्न थे। ठीक यही स्थिति वर्तमान में ह किन्तु यदि गुणों के आधार पर कोई निर्णय किया जाता है तो हम कहेंगे कि यह उचित है।

अभी मैंने गोष्ठी क्षेत्रों में कुछ माननीय सदस्यों को यह कहते हुए सुना कि हम विशाल पंजाबी भाषी प्रान्त चाहते हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा था : 'हुक्म सिंह पंजाबी भाषी प्रान्त की पुकार कर रहे हैं ।' किन्तु वह यह नहीं जानते हैं कि इसके लिये कौन सा प्रान्त चुना जाय । वैसे चार प्रान्त ऐसे हैं जहां जनता पजांबी बोलती है—हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और पेप्सू । चार पहले से ही हैं और अब अधिक क्या चाहिय । मैंने उनसे पूछा कि क्या इन में से किसी प्रान्त में पंजाबी राजभाषा है । उनके पास कोई उत्तर नहीं था । तब विशाल पंजाबी भाषी प्रान्त के वेश में इन चार प्रान्तों को क्यों नहीं मिला दिया जाय । यदि उपयुक्त हो तो पंजाबी राजभाषा बना दो जाय। यदि वे सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उक्त चारों प्रांतों को सम्मिलित कर एक महा पंजाबी-भाषी प्रान्त बना देना चाहिए । किन्तु यह एक अद्भुत प्रस्ताव है, मूल भावना को परोक्ष में रख देने के लिए एक युक्ति है । यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार किसी बात को तब तक नहीं सुनती जब तक कि ऐसा करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता ।

मुझे एक बात और कहना है । कुछ व्यक्तियों की यह आशंका है कि पंजाबी हिन्दी भाषा के विरोध में हैं । यह सर्वथा असत्य है और कुछ स्वार्थी व्यक्ति ही इन विचारों का विज्ञापन करते हैं । हम केवल यह चाहते हैं कि हिन्दी को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का अपमार्जन नहीं करना चाहिए ।

अन्त में मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर भारत की जनता भी उतनी ही देशभक्त है जितनी कि देश के अन्य भागों की । हम भी देश की रक्षा के लिए समान उत्सुक हैं । भाषावार प्रांतों के लिए एक निश्चित मापदण्ड होना चाहिए । किसी विशेष वर्ग की पुकार पर इसका निर्णय नहीं होना चाहिए । प्रांत निर्माण का मूल आधार तत्सम्बन्धी गुण होने चाहिएं । यदि गुण के अभाव

में किसी क्षेत्र को भाषावार राज्य के लिए अपात्र घोषित किया गया है तो यह असंदिग्ध रूप से इस निर्णय से संतुष्ट हो जायगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम्) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । फिर भी मैं इसकी सीमा से संतुष्ट नहीं हूं । गत ४० वर्ष से ३३० लाख आन्ध्र लोगों ने एक ऐसे आन्ध्र राज्य की स्थापना के लिए आन्दोलन किया है, परन्तु हमें मिल रहा है एक लंगड़ा आन्ध्र राज्य जिस में केवल २०० लाख आन्ध्र लोग रह जायेंगे । हम वास्तव में उन सभी तेलगू भाषी क्षेत्रों को इस राज्य में शामिल करना चाहते हैं जो इस समय हैदराबाद राज्य, मैसूर राज्य, शेष के मद्रास राज्य, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के भाग हैं ।

यद्यपि कांग्रेस ने भारत के भाषा-वार विभाजन के सिद्धांत को १९२०-२१ का माना हुआ है, फिर भी सत्तारूढ़ होने पर वह अपने सभी वचनों को भूल गई है । जब तक स्वतन्त्रता का संग्राम जारी था, हमने उसे सदैव ही प्राथमिकता दी, तथा आन्ध्र राज्य की स्थापना पर कभी ज़ोर नहीं दिया । उस संग्राम में हमारा भाग प्रशंसनीय था तथा सब के सांझे से १९४७ में हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । परन्तु खेद की बात है कि बाद में कांग्रेस ने भारत के भाषा के आधार पर विभाजन के सिद्धांत का अनुसरण किया ।

इस क्रम पर मैं उन अनेक महान् पुरुषों को श्रद्धांजली अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता तथा एक पृथक् आन्ध्र राज्य की स्थापना की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया है ।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद पंडित नेहरू तथा केन्द्रीय सरकार ने भारत के भाषा के आधार पर विभाजन की समस्या की जांच करने के हेतु कोई उच्च सत्ता-सम्पन्न आयोग स्थापित नहीं किया तथा निरन्तर इसकी उपेक्षा की है । इस से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि प्रान्त या राज्य की स्थापना के विषय में भाषा ही एकमात्र आधार या विचारणीय बात हो । मैं केवल यह चाहता हूं कि भाषा को और बातों पर प्राथमिकता दी जाय। इसके साथ साथ आर्थिक स्वावलम्बता, क्षेत्र के पार्श्ववर्ती होने तथा प्रशासन की सुविधा पर भी विचार होना चाहिए।

दुर्भाग्य से पंडित नेहरू तथा केन्द्रीय सरकार को यह आशंका है कि भाषा के आधार पर बटवारे से देश की एकता जाती रहेगी तथा इसके टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे । मेरी दृढ़ भावना है कि इससे विघटन की बजाय भारत एक ठोस आधार पर संघटित होगा । प्रथम अक्तूबर, १९५३ के दिन को आन्ध्र देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायगा । इस आन्दोलन के आखिरी दिनों में श्री गोला-पुदी सातारामा शास्त्री का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा । उनके मरणव्रत के ३५वें दिन को आचार्य बिनोवा भावे ने उनसे व्रत को तोड़ने की अपील की थी तथा आन्ध्र राज्य की स्थापना का उन्हें विश्वास दिलाया था, परंतु पंडित नेहरू और केन्द्रीय सरकार ने समय की गम्भीरता को अनुभव नहीं किया तथा इस मांग को तभी स्वीकार किया जब श्री रामुलू की मृत्यु के बाद वहां एक ज़ोरदार आन्दोलन चला जिस ने उन्हें झुकने पर विवश कर दिया । इस पर भी मेरा कहना है कि पंडित नेहरू ने आन्ध्र लोगों का

[श्री के० सुब्रहमण्यम्]

अत्यन्त हानि पहुंचाई है तथा हमें वह विशाल आन्ध्र राज्य स्थापित नहीं करने दिया ।जसके लिए हम इतने समय से आन्दोलन कर रहे थे । प्रधान मंत्री ने श्री वांचू की सिफारिशों की भी उपेक्षा कर दी है । बहुत अच्छा होता यदि बेल्लारी ज़िले को आंध्र राज्य में शामिल कर लिया जाता तथा जब संयुक्त कर्नाटक राज्य का प्रश्न उठता तो कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को उस राज्य में शामिल कर लिया जाता । प्रधान मंत्री ने इस सुझाव को नहीं माना । न्यायाधीश श्री वांचू ने मद्रास को तीन से पांच वर्ष तक अस्थायी राजधानी रखने की सिफारिश की थी परन्तु प्रधान मंत्री ने उसे भी स्वेच्छापूर्ण ढंग से रद्द कर दिया ।

अब मुझे कुछ शब्द महाविद्यालयों के बारे में कहने हैं । रायलासीमा के महाविद्यालयों का सम्बन्ध मद्रास विश्वविद्यालय से तोड़ कर तुरन्त आन्ध्र विश्वविद्यालय से जोड़ा जाये । इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों की आन्ध्र महाविद्यालयों में व्यवस्था न हो, उन के अध्ययन के इच्छुक आन्ध्र विद्यार्थियों के मद्रास महाविद्यालयों में २० वर्ष तक प्रवेश के लिए व्यवस्था की जाय तथा अन्य पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में दस वर्ष तक व्यवस्था की जाय ।

अस्थायी राजधानी के सम्बन्ध में बहुत बावेला मचा है । व्यक्तिगत रूप से मैं करनूल को अस्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में हूं । हम ने श्री बाघ सन्धि में रायलासीमा के लोगों को इस अभिप्राय का वचन दे रखा है । हमें उन की इच्छाओं का सम्मान करना है । अब इस फैसले में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । हां जब हम विशाल आन्ध्र राज्य की स्थापना कर के हैदराबाद को अपनी स्थायी राजधानी बना लें तो बात और है ।

दीवान राघवेन्द्र राव (उस्मानाबाद) : श्रीमान्, नर्बदा नदी के उत्तरी भाग के निवासी लोगों को भाषावार प्रान्तों के बारे में कुछ आशंकाएं हैं तथा ग़लत धारणाएं भी । भाषावार प्रान्तों का अर्थ पुनर्संगठन या पुनर्विभाजन नहीं है । इस से तो उन लोगों को पुनः आपस में मिलाया गया है तथा एकीकृत क्षेत्र में रखा गया है ।

इस के अतिरिक्त वे लोग समझते हैं कि इस प्रकार की एकता से असंतोष तथा फूट के पड़ने का डर है जिस से भारत की एकता को खतरा हो सकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए इतना त्याग तथा बलिदान किया है, वह केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने से ही इस एकता के भंग करने का देश विरोधी काम कैसे कर सकते हैं ।

मैं इस विधेयक को आन्ध्र राज्य विधेयक नहीं मानता । लगभग ८४ लाख तेलगू भाषी लोगों को इस से बाहर रखा गया है तथा ४०,००० वर्ग मील क्षेत्र भी शामिल नहीं किया गया है । फिर भी इसे आन्ध्र राज्य का नाम देना वास्तविकता से दूर है । न ही मुझे यह समझ आती है कि किसी भाषा विशेष के बोलने वाले लोगों को एक साथ लाने से कोई क्षेत्र 'महा' या 'विशाल' कैसे बन जाता है । मेरे निकट ये सब धारणाएं ग़लत हैं ।

मैं भाषावार प्रान्तों के समर्थकों को बतलाना चाहता हूं कि विशेष क्षेत्रों को

किसी राज्य विशेष में शामिल करने का विवाद इन प्रान्तों की स्थापना के मार्ग में सब से बड़ी बाधा सिद्ध होगी । हम भारतीय परम्परा से उदारचित्त हैं । हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिये । राज्यों की स्थापना में इस प्रकार के दृष्टिकोण के अपनाने से सारे मामले शान्तिपूर्ण ढंग से हल हो सकते हैं । हैदराबाद के आठ ज़िलों को आन्ध्र राज्य में शामिल करने से हम उस राज्य की राजधानी की समस्या को भी हल कर सकते हैं तथा उच्च न्यायालय की समस्या को भी । हैदराबाद में एक बनी बनाई राजधानी मिल सकती है । वहां पर सभी के लिये पर्याप्त स्थान है । इसी प्रकार से तेलंगाना के आठ ज़िलों को शामिल करने से रायलासीमा के दुर्भिक्ष आदि का डर नहीं रहेगा । वे ज़िले बड़े उपजाऊ हैं तथा उनमें सिंचाई के अच्छे साधन मौजूद हैं तथा सामूहिक परियोजनाओं में भविष्य के सम्बन्ध में ऐसी और योजनाएं भी रखी गई हैं । मैं यह भी कहता हूं कि हैदराबाद के आठ आन्ध्र भाषी ज़िलों में पृथक् होने की भावनाएं आ चुकी हैं । केन्द्र से जो धन उस राज्य को जाता है, वह इन्हीं ज़िलों को चला जाता है तथा महाराष्ट्री लोगों को यह लाभ नहीं पहुंचता । अतएव महाराष्ट्री लोग चाहते हैं कि जितनी शीघ्रता से इन ज़िलों को आन्ध्र राज्य में मिला दिया जाय, उतना ही अच्छा होगा ।

हैदराबाद के विघटन के बारे में कुछ उच्च नेताओं तथा अधिकारियों का विचार है कि इस विघटन से सारे दक्षिण भारत का चित्र बदल जायगा । मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि यदि हैदराबाद को ऐसे ही रहने दिया गया तो वहां पर ऐसे लोग हैं जो सारे भारत का भावी चित्र बदल कर रख देंगे । प्रथम बड़ा खतरा तो स्वयं निज़ाम साहिब हैं जो धड़े बना रहे हैं । वह इतने निडर हैं कि अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उन्हों ने एक पुस्तक भी प्रकाशित करा दी है । उस से कई उद्धरण दिए जा सकते हैं जिस से वैयक्तिक निराशावाद, अन्याय का आभास तथा दूसरों द्वारा अनुचित व्यवहार की शिकायत जान पड़ती है । उक्त पुस्तक में निज़ाम वंश की हैदराबाद राज्य के प्रति कर्त्तव्य-पालन तथा शानदार परम्परा की दिल खोल कर सराहना की गई है तथा उसकी वर्तमान दुर्दशा में लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की भरसक चेष्टा की गई है ।

हमें एक और बड़ा खतरा नौकरशाही से है । नौकरशाही ने रज़ाकार आन्दोलन की बड़ी सहायता की थी । वही नौकरशाही आज भी वहां मौजूद है जो निज़ाम की सहायता से षड़यन्त्र रचने में व्यस्त है । स्वयं निज़ाम ने इस पुस्तक में हैदराबाद के लिए तीन खतरों का वर्णन किया है जिन में से एक यह है कि वहां पर एक छोटा सा मुस्लिम जाति का वर्ग है । जो खतरा हैदराबाद को है, वह सारे भारत को खतरा है । अतएव आन्ध्र लोगों के लिये, महाराष्ट्रियों के लिए तथा सारे भारत की सुरक्षा के लिए हैदराबाद का विघटन किया जाना चाहिये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी (यादगीर) : मैं आन्ध्र लोगों को अपने चिरकाल उद्देश्य की प्राप्ति पर बधाई देता हूं जिस के लिए उन्होंने इतना तप और त्याग किया है ।

[श्री कृष्णाचार्य जोशी]

बहुत से मित्रों ने, जिन में श्री गाडगिल तथा स्वयं हैदराबाद के माननीय सदस्य भी हैं, हैदराबाद के विघटन का समर्थन किया है । १९५० में हैदराबाद कांग्रेस ने हैदराबाद के विघटन का प्रस्ताव पारित किया था । हैदराबाद में रहने वाले लोग तीन भाषा सम्बन्धी क्षेत्रों म बटे हुए हैं, तेलगांना, मराठवाड़ा तथा कर्नाटक । तीनों वर्गों का सम्बन्ध पास वाले क्षेत्रों के लोगों की नस्ल से उनकी एक ही भाषा तथा संस्कृति है । राज्य कांग्रेस के बनने से पहले भी उन के पृथक् पृथक् राजनैतिक दल थे जो रियासत के विघटन की मांग करते थे । जनता की मांग है कि हैदराबाद का विघटन किया जाय । वे इसकी प्रतीक्षा बड़ी देर से कर रहे हैं तथा हाल में हैदराबाद प्रदेश कांग्रेस समिति ने भी यही मांग की है । उनके संकल्प से रियासत के विघटन के सम्बन्ध में लोगों क दृढ़ संकल्प का पता चलता है । कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो इस विघटन के विरुद्ध हैं । इन लोगों के निहित स्वार्थ हैं तथा स्वयं निज़ाम भी जनता की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं । जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, निज़ाम ने अपनी पुस्तक 'फ्राम रूलर टू राजप्रमुख' में भारत सरकार की भी आलोचना की है जिसका उत्तर देना भारत सरकार का काम है । अपनी पुस्तक में उन्होंने सांवैधानिक सम्राट बने रहने के अपने अधिकार को जतलाया है । हैदराबाद के लोग इसे बहुत नापसंद करते हैं ।

अब म बल्लारी के प्रश्न को लेता हूं जिस पर पिछले तीन दिनों से बड़ी गरमागरम बहस हो रही है । आन्ध्र लोगों के अपने हित में भारत सरकार से मेरा सझाव है कि इस समय सारे बेल्लारी ज़िले को मैसूर राज्य में शामिल किया जाय क्योंकि यदि इसके कुछ तालुक मैसूर तथा शेष के कुछ तालुकों को आन्ध्र राज्य में रखा जाता है तो चित्तूर के सम्बन्ध म भी उसी सिद्धांत को माना जायगा । अनन्तपुर की स्थिति भी यही है । बेल्लारी नगर के सम्बन्ध में आन्ध्र लोगों की मांग आश्चर्यजनक है । वे एक ही समय पर दो परस्पर विरोधी मांगें नहीं कर सकते यदि आप इस मामले को पुनः चलाएंगे तो घाटे में रहेंगे । कन्नड़भाषी लोग थोड़ी संख्या में हैं, यदि आप उन्हें बेल्लारी नहीं देते तो आपको हैदराबाद का मिलना कठिन हो जायगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

कारण यह कि हैदराबाद में ५५ प्रतिशत मुसलमान हैं । इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रियों तथा कन्नड़भाषी लोगों की संख्या २० प्रतिशत है । हैदराबाद नगर में आन्ध्र लोगों की संख्या केवल २० प्रतिशत है । यदि उन्होंने बेल्लारी में जनमत का आग्रह किया तो हो सकता है कि हैदराबाद के लिए भी यही मांग की जाय । हैदराबाद में कन्नड़ तथा आन्ध्र के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता । मेरे माननीय मित्र ने जो ऐतिहासिक दावे किये हैं वे हास्यजनक हैं । यदि कल को ब्रिटिश सम्राट् आन्ध्र लोगों का पक्ष ले या उनकी सहायता करे तो वह आन्ध्र नहीं बन जायगा ।

आन्ध्र राज्य की स्थापना में हम हैदराबाद निवासियों ने अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया है । हम

हैदराबाद के विघटन के पक्ष में हैं। आन्ध्र राज्य हैदराबाद के आठ ज़िलों के बिना पूर्ण नहीं बन सकता। यही नहीं, हम चाहते हैं कि हैदराबाद शहर भी आन्ध्र राज्य में शामिल हो हम आन्ध्र राज्य के लिए शुभ कामनाएं करते हैं।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : मैं अपने आंध्र मित्रों को नये राज्य की स्थापना करने वाले इस प्रस्ताव पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मांग के पीछे तेलगू बोलने वाले सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके विपरीत, मेरा विचार है कि आंध्र के लोग हमेशा से यह अनुभव करते आये हैं कि मद्रास राज्य में इन लोगों के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो रहा था। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आंध्र राज्य केवल भाषा के आधार पर ही नहीं बन रहा है, हालांकि कुछ लोगों ने इस अवसर का भाषावार प्रान्तों के समर्थन में अपने विचार प्रकट करके फ़ायदा उठाया है। मुझे दुःख इस बात का है कि सारे वादविवाद के दौरान में मद्रास तथा आंध्र राज्य के सदस्यों ने इस संबंध में एक दूसरे पर आरोप लगाये हैं, विशेषकर परिसम्पत तथा दायित्वों के प्रश्न पर काफ़ी विवाद हुआ है। मैं दोनों ओर के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे सारे मामले को भाईचारे तथा शान्ति से निपटाने का प्रयत्न करें। माननीय गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में आंध्र के सदस्यों को जो राय दी है मैं उसे बहुत मूल्यवान् समझता हूं। उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार को नये सिरे से अपना कार्य शुरू करना चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे अपना एक कार्यक्रम और एक योजना बनायें और फिर सहायता के लिये केन्द्र के पास आयें। केन्द्र तब उस पर अवश्य विचार करेगा। यह तरीका यहां आपस में झगड़ा करने की अपेक्षा बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने मित्रों को सुझाव दूंगा कि वे इस राय पर अमल करें।

अब, मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि मैं आंध्र के लोगों को बधाई दे रहा हूं परन्तु हमारा यह मतलब नहीं कि मैं भाषावार राज्यों का समर्थन करता हूं। मेरा अपना विचार यह है कि भाषावाद देश की सुरक्षा और एकता के लिय बड़ा खतरा है। यदि हम देश के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि इसी भाषावाद के कारण देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सका। आज फिर इस तरह की बात करके हम अपने दश में पृथ ्त्व की भावना उत्पन्न कर रहे हैं जो एक दिन देश में विनाश का कारण बन सकती है। आज हम देखते हैं कि हरेक राज्य अपने पड़ोसी राज्य का कुछ क्षेत्र लेने के प्रयत्न में लगा हुआ है। बंगाल बिहार के क्षेत्र को लेने की फिक्र में है, पंजाब राजस्थान से कुछ लेना चाहता है। पर राजस्थानी लोग किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र की मांग नहीं कर रहे हैं। किन्तु साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि उनसे उनका कोई क्षेत्र छीना जाए।

मैं जानता हूं कि इस सदन में मेरे बहुत से मित्र भाषावार राज्यों के पक्ष में हैं। पर मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि भाषावार राज्यों का विचार अंगरेज़ी शासकों के समय में पैदा हुआ था, और उस समय उसका, सरकार के बिरुद्ध आन्दोलन के प्रति जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बिशेष महत्त्व था। पर अब वह बात नहीं रही। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार

[श्री जे० आर० मेहता]

अपने प्रशासकीय अनुभव के आधार पर मेरे कथन से सहमत होगी । उस को चाहिये कि वह साहस के साथ साफ साफ ऐसे विचार का विरोध करे ।

मैं आशा करता हूं कि आंध्र लोग अपने राज्य तथा देश के अच्छे नागरिक बनेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझको यह वादविवाद १-१५ बजे म० प० पर बन्द कर देना होगा । मै कल सवा नौ बजे म० पू० माननीय मंत्री से बोलने को कहूंगा । मैंने ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न किया है, पर अभी भी कुछ सदस्य बोलने को बाकी रह गये हैं । मैं उन सदस्यों को खंडवार वादविवाद में अधिमान दूंगा और जो लोग बोल चुके हैं उन्हें तब तक फिर से बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा जब तक कि वे घनिष्ट रूप से आंध्र या तामिलनाड से संबंधित न हों । अब मैं कुरनूल के माननीय सदस्य से पांच मिनट बोलने के लिए कहूंगा ।

श्री गौडिलिगन गौड़ (कुरनूल) : मेरा निर्वाचन-क्षेत्र ऐसा है कि मैं कन्नड वासी और आंध्रों दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूं । इसीलिए मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ भी बोलना नहीं चाहता था । पर इस सदन में कुछ बातें बहुत गलत कही गई हैं । इसी कारण मैं बेल्लारी के सम्बन्ध में तथ्यों को बताने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

बेल्लारी में कन्नड़ लोगों की प्रधानता है आंध्रों ने बेल्लारी के लिए मांग २५ मार्च १९५३ के बाद से आरम्भ की है । यह भी केंद्रीय सरकार की एक गलती के फलस्वरूप हुआ । केंद्रीय सरकार ने २५ मार्च १९५३ को यह घोषित किया था कि बेल्लारी के छः तालुके मैसूर को दिये जाएंगे बेल्लारी नगर के विषय में कुछ नहीं कहा गया । आन्ध्रों ने सोचा कि शायद आन्दोलन करने से वे हो उसे पा जायें, और इस प्रकार यह आन्दोलन शुरू हुआ । मैं यह भी बता दूं कि यह आन्दोलन स्वेच्छा से नहीं चल रहा है । बेल्लारी की आन्ध्र-समिति विधि का उल्लंघन करने वालों को मज़दूरी दे रही है । इस लिए मैं तो कहता हूं कि आन्ध्रों को बेल्लारी ताल्लुका प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है । कन्नड़वासियों की बल्लारी ज़िले के अडोनी, अलूर और रायदुर्गताल्लुकों की मांग भी उचित नहीं है । माननीय गृह-मंत्री ने एक सीमा आयोग नियुक्त करने का आश्वासन दिया है । अतः कन्नड़वासियों को प्राप्त होने वाले गांवों के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

अब मैं कुरनूल की अस्थायी राजधानी के प्रश्न पर आता हूं । कुरनूल की अस्थायी राजधानी के लिए चुना जाना उचित है और सरकार ने इस सम्बन्ध में सही कार्यवाही की है ।

मैं इस विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक यथासम्भव शीघ्र पारित हो जाय ताकि नया आन्ध्र राज्य पहली अक्टूबर १९५३ को बन सके ।

मैं इस विधेयक के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह कर्नाटक प्रांत को बनाने के विषय में एक वक्तव्य देने और वहां

के बन्दी किए गए नेताओं को मुक्त करने की कृपा करें ।

श्री नेसवी (धारवाड़ दक्षिण): मुझे आन्ध्र विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि आंध्र देश और कर्नाटक क्षेत्र के सदस्य एक ही नौका के सवार हैं । मेरे साथी पहले ही तट पर पहुंच गये हैं और आशा है कि हम भी शीघ्र ही तट पर पहुंच जायेंगे । भाषावार प्रांतों के बिना जो कि एक वैज्ञानिक आधार है हम उन्नति नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि संघ सरकार को भाषावार राज्यों के निर्माण में अब और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए नहीं तो आगामी चुनावों में इसका बड़ा बुरा परिणाम होगा ।

आप कर्नाटक प्रांत का मामला ही लीजिए, इसका निर्माण और सब प्रान्तों से सरल है । हमारे पास राजधानी तो है ही, कार्यपालिका भी और सब कुछ तैयार है । यहां तक कि नकशे भी तैयार हैं । कर्नाटक के लोग बड़े जोर शोर से इस के लिये आन्दोलन कर रहे हैं । विद्यार्थी रेलें आदि गिरा रहे हैं और बहुत से काम कर रहे हैं । निस्सन्देह, मैं इस का समर्थन नहीं करता । अतः कर्नाटक की भी शीघ्र ही स्थापना होनी चाहिये और इस के बाद महाराष्ट्र ऐक्य केरल तथा इसी प्रकार से अन्य प्रान्त बनाये जाने चाहिये ।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मद्रास के सभी कन्नड़ गांवों और ताल्लुकों को तुरन्त ही मैसूर में मिला देना चाहिये । उदाहरणार्थ, अडोनी, एलूर, रायदुर्ग, कसारघाट, कोल्लेगल और नीलगिरी के ताल्लुके हैं कई ऐसे भाग हैं जिन में मुख्यतया कन्नड़ भाषा बोली जाती है । सारे ताल्लुके नहीं, किन्तु उन गांवों को तुरन्त मैसूर में मिला देना चाहिये जिन में कन्नड़ बोलने वालों का बहुमत है । इस विधेयक का उद्देश्य तभी पूरा होगा क्योंकि यह मद्रास राज्य को घटाने और जहां कहीं सम्भव हो मैसूर राज्य को बढ़ाने के लिये है ।

श्री तिम्मय्या : कुर्ग को भी ।

श्री नेसवी : जी हां, कुर्ग भी बचा हुआ है । मैं तो इसे भूल ही गया था ।

श्री लक्ष्मय्या : कर्नाटक राज्य के चितलद्रुग, टुमकुर और कोलार के जिलों में जो तेलगू-भाषी भाग हैं उन का क्या होगा ?

श्री नेसवी : यदि वहां के लोग चाहें तो जहां कहीं वे हों उन्हें आप ले सकते हैं। जनमत जाने बिना आप ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री नामधारी : यदि वे सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो वे इंग्लैण्ड के साथ क्यों नहीं मिल जाते ? (**हंसी**)

श्री नेसवी : अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक प्रान्त के निर्माण के प्रश्न को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र हाथ में लेना चाहिये । मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जी० एच० देशपांडे : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह कदम ठीक दिशा में उठाया गया है । जब तक भाषावार प्रान्त नहीं बनेंगे तब तक लोग स्वतंत्रता का फल सच्चे अर्थों में नहीं प्राप्त कर सकेंगे । यदि एक ही भाषाभाषी लोग एक प्रान्त में इकट्ठे हो जायेंगे तो वे सरकार के साथ अच्छी प्रकार सहयोग

[श्री जी० एच० देशपांडे]

कर सकेंगे और शासन में उन्हें रुचि होगी। लाखों महाराष्ट्री हैदराबाद, महाकोशल और बम्बई में बिखरे पड़े हैं। यदि वे कहते हैं कि वे एक प्रान्त में इकट्ठे रहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है ? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। हम में से कुछ यह समझने लगे हैं कि प्रान्तों के भाषा के आधार पर पुनर्वितरण से भारत की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायगी। मैं कहता हूं कि इस से भारत की स्वतन्त्रता कभी खतरे में नहीं पड़ेगी।

हमारे में जो कटुता दिखाई देती है वह अंग्रेजों की उस नीति का परिणाम है जो कि उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाई थी। और वह एक जाति को दूसरी जाति से और एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से लड़ाने की थी। आजकल का बम्बई और मद्रास उनकी इसी नीति के परिणाम हैं। आन्ध्र देश वालों की एक मत से यह राय है कि उनके साथ अन्याय हो रहा था और अब उन्हें अलग होकर स्वयं अपना शासन सम्भालने का जो अवसर मिला है वह अच्छा ही हुआ है।

मैं अपने आन्ध्र मित्रों को भी एक सलाह देना चाहता हूं। आन्ध्र के प्रत्येक माननीय सदस्य के भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि भारत में उन के साथ कोई न्याय करने वाला नहीं है। मैं अपने उन मित्रों से कहूंगा कि वे ऐसी बातों को भूल जायें। आप को विशाल आन्ध्र मिलेगा और कुरनूल से हैदराबाद तक आप का रास्ता साफ हो जाएगा। सारे भारत की सहानुभूति आप के साथ है और भारत की सारी जनता आप के पक्ष में है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करना अच्छी बात है। किन्तु इस के लिए लोगों को अनुचित ढंग नहीं अपनाने चाहियें। हमें बड़ी सावधानी से चलना चाहिए और जल्दी नहीं करनी चाहिए। केवल तभी हम भारत की एकता को बनाये रख सकेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।

डा० काटजू : श्रीमान् जी, मैं ने इस वाद विवाद को बड़े ध्यान से सुना है। इस में चार दिन लग गए हैं और मेरे लिए तो यह एक बड़ा लाभप्रद और रुचिकर अनुभव रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

मुझे एक घोषणा करनी है। २४ को रक्षाबन्धन है। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से यह अभ्यावेदन किया है कि हम संसद् की बैठक प्रातःकाल करने की अपेक्षा मध्याह्नोत्तर कर सकते हैं। अतः उस दिन सदन की बैठक दो बजे से सात बजे तक होगी।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २० अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।